सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल
पटेलनगर, देहरादून

मैनुअल

भाग–चार
(मैनुअल संख्या– 12, 13, 14, 15, 16 एवं 17)

फोन : 0135–2728227, 2728272, 2520604
फैक्स : 0135–2728226
E-mail : di@ua.nic.in

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005

भाग– 4

विषय सूची

क्रमांक	मैनुअल	विवरण	पृष्ठ सं0
1	12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।	1–91
2	13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं की विशिष्टियां	92–94
3	14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों	95
4	15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	96
5	16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां	97
6	17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय	98

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

मैनुअल–12

सहायिकों कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति , जिसमें आवंटित राशि और ऐसे फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हों

ब्याज प्रोत्साहन सहायताः– योजना का क्रियान्वयन/अनुश्रवण जिला स्तर पर संबंधित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर निदेशक उद्योग द्वारा किया जाता है। शासनादेश सं.–1040/औ0वि0/ब्याज प्रोत्साहन सहायता–7/2004/69–उद्योग दिनांक 24 मई, 2004 द्वारा ब्याज प्रोत्साहन सहायता की स्वीकृति तथा उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिये जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति सक्षम है।

केन्द्रीय पूंजी निवेश राज्य सहायता योजनाः– शासनादेश सं0–177/औ0वि0/उद्योग /03–04 दिनांक 29 जनवरी, 2004 द्वारा उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति को 1.50 लाख तक उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है तथा उससे अधिक उपादान की धनराशि के दावें संबंधित महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक राज्य स्तरीय समिति की स्वीकृति हेतु संसतुति/सन्दर्भित करेंगे।

केन्द्रीय परिवहन उपादानः– शासनादेश सं0 132/औ0वि0–242–उद्योग/2002 दिनांक 25 फरवरी, 2003 द्वारा केन्द्र सरकार की परिवहन उपादान योजना के दावों की स्वीकृति के लिये पूर्व में गठित समितियों को अतिक्रमित करते हुए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रदेश में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमियों को भूखण्ड आवंटन करने हेतु सचिव, औद्योगिक विकास उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में शासनादेश सं0–1234/औ0वि0–1/69–उद्योग/2000 दिनांक 15 जनवरी, 2002 द्वारा समिति का गठन किया गया है।

फैसिलिटेशन काउन्सिलः– शासनादेश सं0–2221/औ0वि0/182–उद्योग/2000 दिनांक 06 नवम्बर, 2001 द्वारा लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के विलम्बित दावों से संबंधित

Scanned with CamScanner

विवादों के तुरन्त निराकरण हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल का गठन किया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के उपयोग पर प्रोत्साहनः– वित्तीय प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पर्यावरण को अधिकाधिक सुरक्षित रखें जाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रक उपकरण स्थापित करने हेतु किये गये व्यय का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 1.00 लाख रुपये प्रति इकाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी।

पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन पर प्रोत्साहन सहायताः– योजना के अन्तर्गत पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने में व्यय की गई धनराशि का 75 प्रतिशत अधिकतम 2.00 लाख की सीमा तक आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल जनपदों के पात्र उद्यमियों के आवेदन पत्र निदेशालय को संस्तुति सहित अग्रसारित करेंगे, जिन पर राज्य स्तर पर गठित समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

आई0एस0ओ0–9000/14000 प्रमाणीकरण प्रोत्साहन सहायताः– योजना के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी गुणवत्ता तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार हेतु प्रदेश में स्थापित कार्यरत उद्योगों को इनके द्वारा आई0एस0ओ0–9000/14000 प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 2.00 प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र जनपद की पात्र औद्योगिक इकाइयों के आवेदन पत्र वांछित अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों सहित निदेशालय को परीक्षण उपरान्त अपनी संस्तुति के साथ अग्रसारित करेंगे तथा इस हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा उन्हें स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन के अन्तर्गत सुविधायें

N0.1 (10)/2001-NER

Government of India

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Industrial Policy & Promotion)

New Delhi, dated 7th January, 2003

OFFICE MEMORANDUM

Subject: New Industrial Policy and other concessions for the State of Uttaranchal and the State of Himachal Pradesh.

The Hon'ble Prime Minister, during the visit to Uttaranchal from 29th to 31st March, 2002, had inter-alia made an announcement that "Tax and Central Excise concessions to attract investments in the industrial sector will be worked out for the Special Category States including Uttaranchal. The industries eligible for such incentives will be environment friendly with potential for local employment generation and use of local resources."

2. In pursuance of the above announcement, discussion on Strategy and Action Plan for develoment of Industries and generation of emploment in the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh were held with the various related Ministries/agencies on the issue, inter-alia, infrastructure, development, financial concessions and to provide easy market access. The new initiatives would provide the required incentives as well as an enabling environment for industrial development, improve availability of capital and increase market access to provide a fillip to the private investment in the State.

3. Accordingly, it has been decided to provide the following package of incentives for the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh.

Fiscal Incentives to new Industrial Units and to existing units on their substantial Exapansion.

(i) New industrial units and existing industrial units on their substantial expansion as defined, set up in Growth Centres, Industrial Infrastructure Development Centres (IIDCs), Industrial Estates Export Processing Zones, Theme Parks (Food Processing Parks, Software Technology parks, etc.) as stated in Annexure-1 and other areas as notified from time to time by the central Government are entitled to:

(a) 100% (hundred percent)outright excies duty exemption for a period of 10 years from the date of commencement of commercial production.

(b) 100% Income tax exemption for initial period of five years and there after 30% for companies and 25% for other than companies for a further period of five years for the entire States of Uttaranchal and Himachal Pradesh from the date of commencement of commercial production.

(ii) All New industries in the notified location would be eligible for capital investment subsidy @ 15% of their investment in plant & machinery, subject to a ceiling of Rs. 30 lakh. The existing units will also be entitled to this subsidy on their substantial expansion, as defined.

(iii) Thrust Sector Industries as mentioned in Annexure-II are entitled to similar consensus as mentioned in para 3(i) & (ii) above onthe entire State of Uttaranchal and Himachal Pradesh any aea restrictions.

3.2 Development of Industrial Infrastructure:

(i) The funding pattern under the Growth Centre Scheme currently envisaging Central assistance of Rs. 10 crore per centre is raised to Rs. 15 crore per centre.

(ii) The financing pattern of Integrated Infrastructure Development Centres (IIDC) between Government of India and SIDBI will change from 2:3 to 4:1 and the GOI funds would be in the nature of a grant, so as to provide the required infrastructural support.

3.3 Other Incentives:

(i) Deendayal Hathkargha Protsahan Yojna and other incentives of Minis – Textiles: The funding pattern between Government of Indial and both the States would be changed from 50:50 to 90:10 under this Scheme. Ministry of Textiles would extend its package of tives, as notified for North-eastern States, to the States of Uttaranchal and Himachal Pradesh also.

(ii) Ministry of Food Processing Industries would include Uttaranchal jn difficult category. The State of Himachal Pradesh is already included in the difficult areas category.

(iii) Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY): Ministry of Agro & Rural Industries provide for States of Himachal Pradesh and Uttaranchal relaxation under PMRY with with respect to Age (i.e. 18-40 years from 18-35 years) and subsidy @ 15% of the project cost subject ceiling of Rs. 15,000/- per entrepreneur).

3.4 Ineligible Industries under the policy:

The list of Industries excluded from the purview of proposed concessions is at Annexure.

Scanned with CamScanner

In addition, the Doon Valley Notification (S.O. No. 102 (E) dated 1st February, (Annexure-IV) as amended from time to time, issued by Ministry of Environment & Forests continue to operate in the Doon Valley area and the industries notified under it are exclude the proposed concessions, in the State of Uttaranchal.

3.5 Nodal Agency:

The Nodal Agency for fouting the subsidies/incentives under various schemes under Policy will be notified separately.

4. Government reserves the right to modify any part of the policy in the interest of public.

5. The Ministry of Finance & Company Affairs (Department of Revenue), Ministry of & Rural Industries, etc. are requested to amend Act/Rules/Notifications etc. and issuer sary instructions for giving effect to these decisions.

(S.JAGADEESAN)
Joint Secretary to the Govt. of India

To:

1. Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh, Shimla.
2. Chief Secretary, Government of Uttaranchal, Dehradun.
3. Secretary, Industries Department, Government of Himachal Pradesh, Shimla.
4. Secretary, Industries Department, Government Of Uttaranchal, Dehradun.
5. Secretary, Department of Revenue, North Block, New Delhi.
6. Secretary, dMinistry of Textiles, Udyog Bhavan, New Delhi.
7. Secretary, Agro Rural Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.
8. Secretary, Small Scale Industry, Udyog Bhavan, New Delhi.
9. Secretry, Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi.
10. Joint Secretary (CBDT-TPL-11), Department of Refvenue, North Block, Bew Delhi.
11. Joint Secretary (TRU), Department of Revenue, North Block, New Delhi.

Copy for information to
All Ministries and Departments.

THRUST INDUSTRIES FOR STATES OF UTTARANCHAL PRADESH

Sl.No.	Activity	4/6 digit Excise Classification	Sub-class under NIC Classification 1998	ITC(HS) Classification 4/6 digit
1	Floriculture	-	-	0603/060120/060 29020/06024000
2	Medicinal herbs and aromatic herbs etc. processing	-	-	
3	Honey	-	-	040900
4	Horticulture and Agro based industries such as (a)Sauces,Ketchup,etc. (b)Fruit Juices & fruit pulp (c)Jams, jellies, Vegetable Juices, Puree, Pickles, etc. (d)preserved fruits and vegetables (e)processing of fresh fruits and vegetables including packaging (i)Processing, preservetion, Packaging of mushrooms.	21.03 2202.40 20.01	15135 to 15137 & 15139	
5	Food Processing Industry excluding those included in the negative list	19.01 to 19.04		
6	Sugar and its by-products	-	-	17019100
7	Silk and silk products	50.04 50.05	17116	
8	Wool and wool products	51.01 to 51.12	17117	
9	Woven fabrics (Excisable garments)	-	-	6101 to 6117
10	Sports goods and equipment for general physical exercise and equipment for adventure sports activities, tourism (to be separately specified)	9506.00		
11	Paper & paper products excluding those in negative list(as per excise classification)	-	-	-
12	Pharma products	30.03 to 30.05		-
13	Information & Communication Technology Industry Computer Hardware Call Centres	84.71	30006/7	
14	Bottling of mineral water	2201		-

Scanned with CamScanner

Sl.No	Activity	4/6 digit Excise Classification	Sub-class under NIC Classification 1998	ITC(HS) Classification Digit
15	Eco-tourism Hotels, resort, spa, entertainment/amusement parks and ropeways	-	55101	
16	Industrial gases (based on atmospheric fraction)			
17	Handicrafts			
18	Non-timber forest products based industries			

Sl.No	Activity	Excise classification	Sub-class under NIC classification 1998
1	Tobacco and tobacco products including cigarettes and pannasala	24.10 to 24.04 & 21.06	1600
2	Thermal Power Plant (coal/oil based)		40102/40103
3	Coal washeries/coal processing		
4	Inorganic Chemicals excluding medicinal grade oxygen (2804.11), medicinal grade hydrogen peroxide (2847.11), compressed air (2851.30)	Chapter 28	
5	Organic chemicals excluding Provitamins/vitamins, Hormones (29.36), Glycosides(29.39), sugars (29.40)	Chapter 29	24117
6	Tanning and dyeing extracts, tanins and their derivatives, dyes, colours, paints and varnishes, putty, fillers and other mastics, inks	Chapter 32	24113/24114
7	Marble and mineral substances not classified elsewhere	25.04 25.05	14106/14107
8	flour mills/rice mills	11.01	15311
9	Foundries using coal		
10	Minerals fuels, mineral oils and products of their distillation. Bituminous substances: mineral waxes	Chapter 27	
11	Synthetic rubber products	40.02	24131
12	Cement clinkers and asbestos, raw including fiber.	2502.10 2503.00	
13	Explosive(including industrial explosives, detonators & fuses, fire works, matches, propellant powders, etc.	36.01 to 36.06	24292
14	Mineral or chemical fertilisers	31.02 to 31.05	2412
15	Insecticides, fungicides & pesticides (basic manufacture and formulation)	3808.10	24211/24219
16	Fibre glass & articles thereof	70.14	26102
17	Manufacture of pulp-wood pulp, mechanical or chemical (including dissolving pulp)	47.01	21011
18	Branded aerated water/soft drinks (non-fruit based)	2201.20 2202.20	1554/15542

Scanned with CamScanner

Sl.No	Activity	Excise classification	Sub-class under NIC classification 1998
19	Paper	4801	21011 to 21019
	Writing or printing paper, etc.	4802.10	
	Paper or paperboard, etc.	4802.20	
	Maplitho papet, etc.	4802.30	
	Newsprint, in rolls or sheets	4801.00	
	Craft paper, etc.	4804.10	
	Sanitary towels.etc.	4818.10	
	Cigaretter paper	48.13	
	Grease-proof paper	4806.10	
	Toilet or facial tissue, etc.	4803	
	Paper & paperboard, laminated internally with bitumen, tar or asphalt	4807.10	
	carbon or similar copying paper	4809.10	
	Products consising of sheets of paper orpaperboard, inpregnated, coated or covered with plastic, etc.	4811.20	
	paper and paperboard, coated impregnated or covered with wax, etc.	4811.40	
20	Plastics and articles thereof	39.09 to 39.15	

* Serial No. 5; Reproduction by synthesis not allowed as also downstream industries for sugar.

केन्द्रीय पूँजी उपादान
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
अधिसूचना
देहरादून, 22 अप्रैल, 2003

फा0सं0 1(10)/2001–एन0आर0–भारत सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इन राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केन्द्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई :

संक्षिप्त नाम:– यह योजना केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसाहायता योजना, 2003 कहलायेगी।

योजना का प्रारम्भ और अवधि:– यह योजना 7 जनवरी, 2003 से प्रभावी होगी तथा 6–1–2013 तक प्रवृत्त रहेगी।

योजना का लागू होना:– यह योजना उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित विकास केन्द्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केन्द्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास केन्द्रों (आई0आई0डी0सी0) अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेटों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं तथा इन विकास केन्द्रों से बहार स्थापित तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों के विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगी।

पात्रता की अवधि:– यह राजसहायता पात्र औद्योगिक एकक के लिए योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीक्ष से दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

परिभाषाएं:–

(क) "औद्योगिक एकक" से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक एकक जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलाप किया जा रहा हो अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के दिनांक 30–9–1991 के पत्र संख्या 2(3)/91–एस0एस0आई0बी0डी0 में यथा परिभाषित एक उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से न चलाया जा रहा हो।

Scanned with CamScanner

(ख) "नया औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसको स्थापित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 7 जनवरी, 2003 से पूर्व नहीं की गई थी।

(ग) "विद्यिमान औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेस है जो 7 जनवरी 2003 को विद्यमान है।

(घ) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता के विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है।

(ङ) "प्रभावी उपाय" से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक उपाय अभिप्रेत है:–

(i) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है।

(ii) कि विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है।

(iii) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेहतु निश्चित आर्डर दे दिया गया है।

(च) "स्थिर पूंजी निवेश" से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है।

6 स्वीकार्य राजसहायता की सीमा:– विकास केन्द्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों अथवा आई0आई0डी0सी0 अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक संपदाओं/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को उनके नये एककों के संबंध में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जायेगी अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जायेगा जिसके अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी।

6.1 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केन्द्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई0डी0सी0 अथवा औद्योगिक एस्टेट/पार्क/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। इन विकास केन्द्रों से बाहर तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों में स्थपित विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार) में नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे।

7 संयंत्र तथा मशीनरी:– संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में

लिया जायेगा जिसमें टूल, जिग्स, डाइयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम और उनकी परिवहन लागत भी शामिल होगी।

7 (क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि को, माल लाने ले जाने में निवेश की गई राशि के बराबर ही हिसाब में लिया जायेगा।

7 (ख) कच्चे माल तथा अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा।

8. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी:– पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी को राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

9. पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रिया:– उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्य औद्योगिक विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा निवेश राजसहायता के दावों में अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा।

10. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रक्रिया:– राज्य सरकार प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी, जिसमें राज्य वित्त विभाग और राज्य उद्योग निदेशालय का एक–एक प्रतिनिधि तथ यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है, तो सम्बन्धित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

10.1 वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकंक के सम्बन्ध में एकक को राजसहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जायेगी। इसी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों के बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के सम्बन्ध में एकक को राज्य सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार यिके जाने और एकक द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात् दी जायेगी। तथा ऐसे मामलों में जहां सम्बन्धित राज्य सरकार सरकारी निधियों के सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है, अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने सम्बन्धी एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाए तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात् ही जारी की जाए।

10.2 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के सम्बन्ध में राजसहायता राज्य सरकार की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा वितरित की जायेगी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा सम्बन्धित एकक के बीच एक अनुबंध/करार किया जाए, जिसमें गिरवी,

Scanned with CamScanner

अथवा राजसहायता की राशि तक परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो। वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त नये औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के सम्बन्ध में एकए को राजसहायता उसकी ही किस्तों में वितरित की जायेगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी से वित्तीय संस्थान द्वारा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान सम्बन्धित एकक के बीच अनुबंध/करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम राशि तक एकक की परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो।

11. केन्द्र/राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकार– यदि केन्द्रीय सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट हैं कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन, मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथवा यदि वह एकक प्रारम्भ होने से पांच वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केन्द्र सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान सम्बन्धित एककों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं।

12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/सम्बन्धित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात् उस सम्पूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपण अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी।

13. उन सभी एककों के सम्बन्ध जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इस आशय का प्रमाण–पत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी है, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को सम्बन्धित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जायेगा, जिस तिथि को अंतिम किस्त/पूरी रकम प्राप्त हुई हो।

14. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात् पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/राज्य सरकार (जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा) को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

एस0 जगदीशन,
संयुक्त सचिव।

No. SIDCUL/ October, 30/101 Date: 30 October, 200

To,

The Managing Director,
SIDCUL.

Joint Director Industries.

All General Managers,
Distt. Industries Centre.

All Industry Associations.

Sub: **Certification of Capacity and Investment for the purpose of the Concessional Industrial Package and New Industrial Policy, 2003 and benefits there under.**

Dear Sir,

The Govt. has been pleased to decide that for the purpose of certifying existing capacity, existing investment capacity enhancement, additional investment etc., the following steps shall suffice for official purposes:

(i) *Certificate of Chartered Engineer certifying capacities and expansion (enclosing list of value of machinery);
(ii) Certificate of Chartered Accountant to certify investments (enclosing list of investment sectorally & for what purpose);
(iii) Affidavit of the promoter along with an undertaking that he has read the clauses of the scheme and is furnishing true facts accordingly;
(iv) Intimation to DIC with a copy to SIDCUL, stating the name of the unit, khasra number, location product, existing capacity & investment, proposed expansion in capacity and investment, source of finance, list of machinery of sectors in which investment is proposed time limit for undertaking the said work etc.;
(v) all the other formalities stipulated in the Capital Investment Scheme etc. of Govt. of India shall also be adhered to.

The concerned General Managers, Distt. Industry Centres shall be maintaining the true record of these formats and shall also be making sample check of 5% at random.

Yours faithfully

(Sanjeev Chopra)
Secretary (ID)

Note: Chartered Engineer and Chartered Accountant shall also certify that they have gone through the contents of the scheme and are certifying the capacity as required under the schem.

Scanned with CamScanner

संख्या 177/औ0वि0/उद्योग/03–04

प्रेषक,

सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उत्तरांचल,
देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग — देहरादूनः दिनांक 29 जनवरी, 2004

विषयः पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य/जिला स्तरीय समिति का गठन एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2180/औ0वि0–के0यू0उ0 दिनांक 29.01.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया हैः

1. सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तरांचल शासन	अध्यक्ष
2. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन) द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अनुसचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
4. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल	सदस्य
5. सम्बन्धित वित्तीय संस्था के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि (यदि इकाई अनुमोदित वित्तीय संस्था से वित्त पोषित हो)	सदस्य
6. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल	सदस्य सचिव

2. इसी प्रकार के जिला स्तर पर पूंजीगत निवेश उपादान स्वीकृत करने हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन निम्न प्रकार किया गया हैः–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी	सदस्य
3.	जिला अग्रणी बैंक अधिकारी/सम्बन्धित वित्तीय संस्था के जिलास्तरीय प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रभारी महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

3. राज्य सरकार सतद्द्वारा जिला स्तरीय समिति को रु. 1.50 लाख तक उपादान धनराशि स्वीकृत करने के अधिकार प्रतिनिधानित करती है। रु. 1.50 लाख से अधिक उपादान धनराशि के दावे सम्बन्धित प्रभारी महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक द्वारा राज्य स्तरीय समिति को स्वीकृति हेतु संस्तुति संदर्भित किये जायेंगे।

4. लघु स्तरीय उद्योगों का केन्द्रीय पूंजीगत निवेश उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण करने का अधिकार सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में निहित होगा तथा लघु स्तरीय उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी एकक एवं वृहत् व मध्यम स्तरीय औद्योगिक एककों का पंजीकरण उद्योग निदेशालय स्तर पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

भवदीय

संजीव चोपड़ा,
सचिव।

संख्या /औ0वि0/03–04/तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
5. जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, उत्तरांचल।
6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली को विज्ञप्ति संख्या 1 (10) 2001–एन0ई0आर0, दिनांक 8 जनवरी, 2003 के अनुपालन में।

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

Scanned with CamScanner

DIRECTORATE OF INDUSTRIES
UTTARANCHAL

APPLICATION FORM FOR REGISTRATION UNDER THE CENTRAL CAPITAL
INVESTMENT SUBSIDY SCHEME- 2003

(a) Name of the industrial unit :

(b) Office address with telephone no. :

(c) Factory address with telephone no. :

(d) Whether the unit is located in the areas as specified in the notification of G.O.I. dated 07-01-03, if yes, please specify :

(e) If the proposed/Expansion unit falls under the specified thrust industries, if yes, please specify :

Constitution of the unit (please specify, whether Proprietor/Partnership/Private Limited/Limited Company/ Co-operative Society) :

(a) Name (s), address (es) of the Proprietor/Partners/ Directors of the Board of Directors/Secretary and President of the Co-operative Society/Trustee :

(b) Date of Registration under the Companies Act/or the concerned Act (Act should be clearly stated) :

(c) Registered Head Office of the company :

Details of Registration of the Unit

(a) SSI Registration

(i) Provisional Registration No
(ii) Permanent Registration No. :

(b) Number and date of industrial licence/letter of Intent/Industrial Entrepreneurs Memorandom :

Name of the product of manufacture/Activity

(a) New/Proposed unit :

(b) *Substantial expansion unit-Before expansion :
-After expansion

(a) Whether the unit is new expansion

(b) Details of effective steps taken for establishment of new/substantial expansion of the unit :

* Substantial expansion as defined in G.O.I. notofication dated 08-03-2003 Vide para-5(d)\

Details		Prior to 7-1-2003	After 7-1-2003
(i)	Total capital issue (Rs.)		
(ii)	Capital issued paid up (Rs.)		
(iii)	% of capital issued paid (Rs.)		
(iv)	State of construction of factory building required for manufacturing activity		
(v)	State of placement of order for pland & machinery (in Rs)		

(b) Expected date of commencement of production in case of proposed/new/under expansion unit:

6. Details of Capital Investment:

	For proposed/new unit (Please specify Actual or Proposed investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed investment)		
		Prior expansion upto 7-1-2003	Expansion after 7-1-2003	% increase
(a) Land (b) Building (i) Office Buildidng (ii) Factory (c) * Plant & Machinery (d) * Accessories/Productive equipments (e) Installation and electrification (f) Preliminary & Preoperative exp.				

Scanned with CamScanner

(g)	Miscellaneous fixed assets (Goods Carrier etc.)				
(h)	*Goods Carrier				
	TOTAL				

7. (i) Means of Finance:

		For proposed/new unit (Please specify Actual or Proposed investment)	For existing unit undergoing expansion (Please specify Actual or Proposed investment)	
			Prior expansion	After expansion
(a)	Own Capital			
(b)	Financial Institution/Bank			
	1. Term Loan			
	2. Working capital			
(c)	Other sources			

* as specified in para-7 of the G.O.I's notification dated 8.1.2003

(ii)	Name of Bank/Financial Institution from where Term Loan/Working Capital obtained and Account no.			

8. Proposed/Working employment position in the unit:

Sl. No.	Category	Nos.
1.	Managerial	
2.	Supervisory	
3.	Skilled	
4.	Semi Skilled	
5.	Others	
	Total :	

9. Tentative Assessment of Capital Investment Subsidy:

Particulars		Total value in Rs.	
(a)	The cost of industrial plant & machinery erected or likely to be erected at site		
(b)	Cost of productive equipment, such as tools, Jigs, dies and moulds, insurance premium and their transportation cost		
(c)	Cost of goods carrier as admissible under para-7(a) of the G.O.I. notification dated 8-1-2003		
	Admissible Capital Investment Subsidy @15%		

Declaration:

I/We hereby solemnly declare that the above informations furnished for the grant of registration under the Cenral Capital Investment Subsidy Scheme 2003 are correct and true to the best of my/our knowledge and belief.

Signature of the applicant/Authorised Signatory.

Place:
Date:

Scanned with CamScanner

REPORT OF THE RECOMMENDING AUTHORITY

Certified that the informations furnished by the unit M/s..... ..... for grant of CIS Registration found correct and acceptable with the following modifications.

1.

2.

Recommended/Non-Recommended for CIS Registration due to the following reasons :-

1.

2.

Date:

Signature of the Recommendibng Authority,
Designation and Seal.

Place:

CIS Registration Certificate

The application has been accepted for registration under the Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003 and the Registration No. given is.....Dated.....

Signature of the Registration Authority
Directorate of Industries, Uttaranchal/
District industries Centre.

केन्द्रीय परिवहन उपादान

वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25–5–2000 से यह योजना पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के समय आठ पहाड़ी जिलों (वर्तमान में उत्तरांचल) के लिए 1–4–2000 से 31–3–2007 तक के लिए और बढ़ाई गई है।

भारत सरकार द्वारा संचालित उक्त योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाई को निकटस्थ रेल शीर्ष से इकाई के कार्यस्थल तक कच्चा माल लाने एवं तैयार माल निकटस्थ रेल शीर्ष तक ले जाने पर निर्धारित दरों के अनुसार हुये परिवहन व्यय का 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना के अन्तर्गत की जाती है। परिवहन उपादान की प्रतिपूर्ति स्वीकृति जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तथा राज्य स्तर पर संचिव औद्योगिक विकास, उत्तरांचलन शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। स्वीकृति के पश्चात उपादान की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल
संख्या/132/औ0वि0 242–उद्योग/2002
दिनांक 25 फरवरी 2003

केन्द्र सरकार की केन्द्रीय परिवहन उपादान योजना के दावों की स्वीकृति के लिए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में जनपद स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय समितियां कठित की गई थी। उत्तरांचल राज्य गठन के उपरान्त शासन द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 2911/औ0वि0 308–उद्योग/2002, दिनांक 26 फरवरी, 2002 के द्वारा मण्डल स्तरीय समिति का पुनर्गठन किया गया था। पुनः कार्यालय ज्ञाप संख्या 122/औ0वि0–1–उद्योग/2002, दिनांक 09 जुलाई, 2002 द्वारा समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया।

शासन द्वारा विचारोपरान्त उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा पुनर्गठित मण्डल स्तरीय समिति को अतिकमित करते हुये राज्य स्तरीय समिति का गठन एतद्द्वारा निम्नवत किया जाता है।

1.	प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त अथवा उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	सचिव, परिवहन उत्तरांचल शासन	सदस्य
5.	सम्बन्धित मण्डलायुक्त	सदस्य
6.	अपर सचिव/उपर निदेशक, उद्योग	सदस्य/सचिव

Scanned with CamScanner

7. महाप्रबंधक, सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र — विशेष आमंत्री
8. सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी — विशेष आमंत्री

योजना सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

एस0 कृष्णन,
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या132/औ0वि0'1/तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. अपर सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, औद्योगिक विकास उत्तरांचल शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, परिवहन, उत्तरांचल शासन।
6. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
7. निजी सचिव, मा0 लघु उद्योग मंत्री जी, उत्तरांचल।
8. निरी सचिव, मा0 राज्य मंत्री औद्योगिक विकास।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
11. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
12. संयुक्त निदेशक उद्योग, पटेल नगर, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति समस्त जिला उद्योग केन्द्रों/जिलाधिकारियों/औद्योगिक गठनों/क्षेत्रीय विकास अधिकारियों को अपने स्तर से वितरित करें।
13. गोपन अनुभाग, सचिवालय, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
14. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से आगामी गजट में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।
16. वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन।
17. गार्ड पत्रावली हेतु।

पराग गुप्ता,
अपर सचिव।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना
(PMRY)

भारत सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से चलाई जा रही है।

स्वीकार्य परियोजनाएँः– आर्थिक दृष्टि से उपयोगी कोई भी उद्योग, सेवा व व्यवसाय सीधे कृषि कार्य जैसे फसल उगाने का कार्य व खाद आदि का क्रय अनुमन्य नहीं है।

पात्रता :

1. **शैक्षिक योग्यताः**– कक्षा 8 पास अथवा आई0टी0आई0/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुमोदित ट्रेड में कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
2. **आयुः**– सामान्य वर्ग के लिये 18 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों के लिये 18 से 45 वर्ष तक। उत्तरांचल राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लिये आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तथा अनु0 जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला वर्ग व शारीरिक रूप से विकलांगों हेतु 18 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है।
3. **पारिवारिक आयः**– समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 40,000/– से अधिक न हो।
4. **निवासीः**– सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से स्थाई रूप से रह रहा हो।
5. अभ्यर्थी किसी वित्तीय संस्था का चूककर्ता (डिफाल्टर) न हो। किसी सब्सिडी वाली सरकारी योजना में पहले से लाभान्वित व्यक्ति पात्र नहीं होगा।

परियोजना लागतः– व्यवसाय मद में अधिकतम रु0 1.00 लाख तथा सेवा व उद्योग मद में अधिकतम रु0 2.00 लाख तक के ऋण का प्राविधान है। पार्टनरशिप में अधिकतम रु0 10.00 लाख तक की परियोजना स्वीकार्य की जा सकती है (अधिकतम 5 व्यक्ति पार्टनर हो सकते हैं, जो विभिन्न परिवारों के हों)।

मार्जिन मनीः– 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत तक (सब्सिडी + मार्जिन मनी अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा में)।

अनुदानः– 15 प्रतिशत व अधिकतम रु0 7,500/– प्रति लाभार्थी। उत्तरांचल राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक पैकेज के अन्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 15,000/– प्रति लाभार्थी है।

Scanned with CamScanner

ब्याज दरः– बैंक की सामान्य दर पर ब्याज लिया जायेगा।

आरक्षणः– योजना में अनु0जाति/जनजाति के लिये 22.5 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के लिये 27 प्रतिशत का प्राविधान है।

ऋण अदायगीः– अदायगी 3 से 7 वर्ष के बीच होगी। 6 से 18 माह तक ऋण वापसी स्थगन।

ऋण के स्रोतः ऋण केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

कोलेटरल सिक्योरिटीः– एक लाख रुपये तक की योजना के लिये कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। एक लाख रुपये से ऊपर की योजना पर कोलेटरल सिक्योरिटी का प्राविधान है।

प्रशिक्षणः– इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृति के बाद व्यवसाय हेतु 10 दिन तथा उद्योग/सेवा हेतु 20 दिन का अनिवार्य प्रशिक्षण का प्राविधान है।

आवेदन प्रक्रिया

उक्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन–पत्र दो प्रतियों में सत्यापित फोटो, स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, आयु के प्रमाण–पत्र में अंक तालिका व प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति व प्रस्तावित योजना (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सादे कागज पर परिवार के मुखिया तथा आवेदक का शपथ–पत्र के साथ जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में अथवा क्षेत्र में सहायक प्रबन्धक कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन–पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

आवेदन–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

वर्ष 2003–2004
शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु
प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्ष 2003–2004 हेतु
आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का पूरा नाम ——————————
2. पिता/पति का पूरा नाम ——————————
3. पूरा पता ——————————
   (अ) स्थाई पता ——————————
   ——————————
   (ब) वर्तमान पता ——————————
   ——————————
   (स) रोजगार/उद्योग चलाये जाने का पता ——————————
   ——————————
   (द) नगरीय क्षेत्र/विकास खण्ड का नाम ——————————
4. प्रार्थी की आयु (प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति सहित) ——————————
5. शैक्षिक योग्यता ——————————
6. प्राविधिक योग्यता ——————————
7. क्या रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है ——————————
   यदि हां तो पंजीकृत संख्या व दिनांक ——————————
8. परिवार सम्बन्धी सूचनायें ——————————

क्र. सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	सदस्य का व्यवसाय	आमदनी प्रतिमाह	यदि किसी वित्तीय संस्था से ऋण लिया हो तो उसका विवरण
(क)	अविवाहित लाभार्थी के मामले में			
1.	पिता/			
2.	माता			
3.	भाई/बहन (अ)			
	(ब)			
(ख)	विवाहित लाभार्थी के मामले में			
	(अ) पति/पत्नी			
	(ब) बच्चे			

Scanned with CamScanner

9. वर्तमान में अभ्यर्थी क्या कर रहा है? ——————————
10. रोजगार/उद्योग जो लगाया या प्रारम्भ करना चाहता है ——————————
11. आपके अनुसार अनुमानित लागत तथा वांछित धनराशि ——————————
(प्रस्तावित योजना के साथ क्रियात्मक अनुभव विवरण भी दे) ——————————
12. योजना लागत का 5 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत तक अंशदान अपने पास से लगाने को तैयार हूँ।
13. नजदीकी बैंक शाखा का नाम
14. क्या प्रार्थी अनुसूचित/जनजाति/पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक का है?
15. प्रशिक्षण (यदि किसी सरकारी संस्था से छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो)
16. क्या प्रार्थी आई0टी0आई0/पॉलीटैक्निक से प्रशिक्षित है?
(यदि हां, तो प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।

मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा ऊपर दिये गये सभी विवरण पूर्णतः सत्य है एवं मैंने किसी भी तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है तथा जांच के दौरान यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरा प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान ——————— प्रार्थी के हस्ताक्षर ———————
दिनांक ——————— प्रार्थी का नाम ———————
पता ———————
———————

आवेदन–पत्र तथा उसके साथ संलग्न किये जाने वाले सभी प्रपत्र
दो प्रतियों में प्रस्तुत किये जाने हैं।

1. आवेदन–पत्र (दोनों प्रतियों पर) अभ्यर्थी की सत्यापित फोटो चिपका दी जाये।
2. जनपद में अभ्यर्थी की तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निवास किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियां, जिसमें निम्न उल्लेख किया जाये–
(क) अभ्यर्थी की समस्त श्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय रुपये 40,000 से अधिक नहीं है।
(ख) अभ्यर्थी आवेदित ऋण से पूर्व किसी भी वित्तीय संस्था (राष्ट्रीयकृत बैंक को–आपरेटिव बैंक आदि से) प्राप्त किये गये ऋण का बकायेदार/डिफाल्डर नहीं रहा हो।
(ग) अभ्यर्थी ने सरकार द्वारा संचालित किसी भी सब्सिडी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

3. जन्म–तिथि के सन्दर्भ में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र तथा शैक्षिक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
5. योजनान्तर्गत व्यवसाय क्षेत्र में रु. 1.00 लाख तक तथा सेवा एवं उद्योग क्षेत्र में रु. 2.00 लाख तक की परियोजनाएं ही अनुमन्य हैं। साझेदारी में सेवा एवं उद्योग क्षेत्र में अधिकतम रु0 10.00 लाख तक की परियोजनाएं अनुमन्य होंगी।
6. उद्योग, सेवा, व्यवसाय जो करना चाहते हैं, की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें परियोजना लागत का 80 प्रतिशत बैंक ऋण तथा 20 प्रतिशत धनराशि में अधिकतम देय सब्सिडी रुपये 15,000/– तथा शेष धनराशि द्वारा मार्जिन मनी के रूप में लगाई जायेगी।
7. प्राविधिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियां।
8. प्राविधिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता कक्षा–8 उत्तीर्ण होनी चाहिए तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग भू0पू0 सैनिक एवं महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
9. प्रत्यक्ष कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी परियोजनाओं पर ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी।

कार्यालय प्रयोग हेतु

शाखा प्रबन्धक
———————
———————

श्री ——————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ———————
निवासी ——————— जनपद देहरादून के हित में ———————
——————— उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु अंकों में ———
शब्दों में ——————— में ऋण रुपये ———————
——————— के रूप में दिये जाने हेतु सरकार द्वारा गठित कार्यदल की बैठक दिनांक ——————— अनुमोदन के आधार पर संस्तुति की जाती है।

अध्यक्ष समिति/महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

Scanned with CamScanner

घोषणा–पत्र

समक्ष– महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

मैं _____ पत्नी/पुत्री/पुत्र _____

निवासी _____

एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि

(क) मेरी समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रुपये 40,000 से अधिक नहीं है।

(ख) मैं आवेदित ऋण से पूर्व किसी वित्तीय संस्था (राष्ट्रीय बैंक, को–आपरेटिव बैंक आदि से) प्राप्त किये गये ऋण का बकायेदार/डिफाल्टर नहीं हूं।

(ग) मैंने सरकार द्वारा संचालित किसी भी सब्सिडी सम्बन्धी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया है।

(घ) मैं जनपद में विगत तीन वर्ष्ज से अधिक अवधि से निवास कर रहा/रही हूं।

हस्ताक्षर

नाम व पता _____

_____

भारत सरकार की क्रेडिट गारण्टी योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना–प्लस के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता पर एक ही बार में देय गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति

योजना का नाम: यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना–प्लस 2005 कहलायेगी।

योजना का प्रारम्भ : योजना 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगी।

योजना का उद्देश्य :

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित सफल एवं अनुभवी लाभार्थियों को लघु उद्योग/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों को बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. बैंकों को केन्द्रीय व राज्य सरकार की क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम निधि तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3. बैंक सफल एवं विश्वसनीय लघु उद्यमियों को क्रेडिट ऋण आधार बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे।

ऋणी की पात्रता :

1. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत वित्त पोषित राज्य के ऐसे लाभार्थी, जो बैंक ऋण का नियमित रूप से भुगतान कर रहे हों तथा जिनका पिछले तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड अच्छा हो तथा जो अपने लघु उद्योग/लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम की स्थापना एवं विस्तार करना चाहता हों।
2. अन्य किसी प्रकार का उद्योग, जो CGFTSI के अन्तर्गत पात्रता रखता हो, वह स्वयं ही इस योजनान्तर्गत पात्र होंगे।

लघु उद्योग/लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम की परिभाषा

क. <u>लघु उद्योग इकाई:–</u> किसी भी औद्योगिक उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व/लीज/हायर पर्चेज) में पूंजी निवेश रु0 1 करोडऋ से अधिक न हो। ऐसे औद्योगिक उपक्रम, जो 13 विशिष्ट स्टेशनरी उत्पादों, 10 विशिष्ट ड्रग एवं फार्मास्यूटीकल उत्पादों तथा 41 ऐसी विशिष्ट उच्च प्रौद्योगिकी एवं निर्यातमूलक हथकरघा तथा निटवेयर उत्पादों का निर्माण करती हों, में प्लाण्ट व मशीनरी में पूंजी विनियोजन रु0 5 करोड़ तक हो। ऐसे उद्योगों का विवरण परिशिष्ट–ए में दिया गया है।

ख. <u>लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम:–</u> उद्योग सम्बन्धी सेवाओं और व्यवसाय उपक्रम, जिनके भूमि, भवन को छोड़कर, प्लाण्ट एवं मशीनरी में अचल पूंजी

Scanned with CamScanner

निवेश रु. 10 लाख तक हो, लघु उद्योग सेवा एवं व्यवस्थय उपक्रम के अन्तर्गत आयेंगे। ऐसी गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट–बी में दिया गया है।

सहायता का स्वरूप व मात्राः ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक द्वारा ऋणी से स्वीकृत सहायता (टर्मलोन व कार्यशील पूंजी की तुलना में) पर एक ही बार में ली जाने वाली 2.5 प्रतिशत गारण्टी फीस की राशि, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 50,000/– तक होगी, प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में अनुमन्य होगी।

सहायता प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया बैंक CGFTSI के अन्तर्गत आच्छादित इकाईयों के दावे त्रैमासिक रूप से तैयार कर संकलित विवरण राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

लाभ :

1. उद्यमी का ट्रेक रिकार्ड सिद्ध होना।
2. परियोजना की असफलता की कम सम्भावना।
3. वृहत ग्राहक आधार।
4. स्थानीय संसाधनों का उपयोग।

बैंक का दायित्वः

1. CGFTSI के क्रियाकलापों का अनुपालन और सम्बन्धित इकाई का आच्छादन करना।
2. त्रैमासिक आधार पर राज्य सरकार से दावों की प्रतिपूर्ति। ऋणी से कोई गारण्टी फीस नहीं ली जायेगी तथा बैंक जिला स्तर तक नोडल अधिकारी नामित करेगा, जो दावों का संकलन कर प्रेषण करेंगा।
3. सहायता प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर बढ़ाई जायेगी, जो PLR रेट से अधिक नहीं होगी।

अभ्युक्ति : योजनान्तर्गत वित्त पोषित इकाइयों को भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज एवं राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन सुविधायें एवं छूट भी नियमानुसार पात्रता पूर्ण करने पर प्राप्त होंगी।

संख्याः 1767/VII/98–उद्योग/2005

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग

देहरादून, दिनांकः 13 जून, 2005

विषयः प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस–2005

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपके पत्र संख्याः399/उ.नि.–पी.एम.आर.वाई.–प्लस /05–06 दिनांक 09 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से भारत सरकार की क्रेडिट गारण्टी फण्ड योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से क्रेडिट सहायता पर एक बार में देय गारण्टी फीस की प्रतिपूर्ति हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस नामक प्रतिपूर्ति सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2– शासन द्वारा योजना के अनुमोदित प्रारूप एवं दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं। आपसे कहना है कि शासन द्वारा अनुमोदित योजना एवं दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1767/VII/98/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. स्टाफ ऑफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

Scanned with CamScanner

5. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, 1–कैन्ट रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून को राज्य सरकार की बेबसाइट में प्रसारण हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में लघु, लघुत्तर उद्योगों के विकास हेतु विशेष राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता।

1. योजना का नाम : यह योजना उत्तरांचल राज्य विशेष राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन योजना–2005 कहलायेगी।

2. योजना का प्रारम्भ और अवधि : यह योजना 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2007 तक अथवा उस अवधि तक जब तक कि उत्तरांचल शासन द्वारा इसे संशोधित/समाप्त न कर दिया जाय, लागू रहेगी।

3. उद्देश्य : योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज में प्रदत्त वित्तीय सहायताओं तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से इतर दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में लघु/लघु स्तरीय उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उद्योग स्थापना के लिए वित्त पोषण को बढावा देने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना प्रमुख है।

4. परिभाषायें :

1. राज्य पूंजी निवेश सहायता उन इकाइयों को देय होगी, जो उद्योग निदेशालय (जिला उद्योग केन्द्रों), उत्तरांचल से लघु (DDI), लघुत्तर (Tiny) तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम (SSSBE) के रूप में पंजीकृत हों। लघु/लघुत्तर उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की परिभाषायें वही होंगी, जो विकास आयुक्त (लघु स्तरीय उद्योग), भारत सरकार द्वारा निम्नवत् अधिसूचित एवं परिभाषित हैं:–

(क) लघु उद्योग– किसी भी औद्योगिक उपक्रम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी (स्वामित्व/लीज/हायर परचेज) में पूंजी निवेश रु. 1 करोड़ से अधिक न हो। हाई–टेक और निर्यातोन्मुखी इकाइयों के लिये भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हस्त औजारों और निटवेयर वस्तुओं, स्टेशनरी एवं औषधी और भेषजीय की 66 मदों में से किसी मद का कोई औद्योगिक उपकरण निर्माण हेतु संयंत्र और मशीनरी में पूंजी निवेश रु. 5 करोड़ तक हो सकता है।

(ख) लघुत्तर उद्योग– अति लघु उद्यमों के लिये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की अधिकतम सीमा रु. 25 लाख है, चाहे इकाई कहीं भी स्थित हो।

(ग) लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम:– भूमि एवं भवन को छोड़कर उद्योग सम्बन्धी सेवाओं और व्यवसाय में नियत परिसम्पत्तियों में पूंजी निवेश रु. 10 लाख तक है।

Scanned with CamScanner

लघु उद्योग सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियां लघु उद्योग के रूप में प्राप्त सभी सुविधाओं के लिये पात्र हैं।

2. नई इकाई से तात्पर्य, उस औद्योगिक इकाई से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम दिनांक 01 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात् उठाये गये हैं।

3. प्रभावी कदम से तात्पर्य, निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कार्यों से है :–

(क) किसी वित्तीय संस्थान अथवा मान्यता प्राप्त बैंक से ऋण आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो गई हो।

(ख) मशीनों व संयंत्रों के लिये आपूर्तिकर्ता को निश्चित क्रयादेश दे दिये गये हों।

(ग) कार्यशाला भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हो।

4. वर्तमान इकाई से तात्पर्य, उस औद्योगिक इकाई से है, जिसकी स्थापना हेतु प्रभावी कदम दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व उठाये गये हों।

5. इकाई, जिसका विस्तार/विविधीकरण या आधुनिकीकरण किया गया है, का तात्पर्य ऐसी इकाई से है :–

(क) जिसने 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् किसी समय विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये प्रभावी कदम उठाये हों।

(ख) जिसकी उत्पादन क्षमता, विस्तार या आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ गई हो या जिसमें विविधीकरण के पश्चात् पूर्वतर निर्माण किये गये माल से भिन्न प्रकार के माल का निर्माण किया जाता हो।

(ग) जिसमें (अवक्षयण के लिये व्यवस्था किये बिना) भवन एवं मशीनरी व संयंत्र पर ऐसे मूल अचल पूंजी विनियोजन का कम से कम 25 प्रतिशत या उससे अधिक का अतिरिक्त अचल पूंजी विनियोजन किया गया हो।

6. अचल पूंजी विनियोजन से तात्पर्य उद्योग के भवन/कार्यशाला मशीनरी, संयंत्र व उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी :–

(क) भवनः केवल उद्योग के उत्पादन कार्य हेतु स्वयं की भूमि पर अथवा विधिसम्मत तरीके से लीज/पट्टे पर ली गई भूमि में निर्मित किये गये उद्योग के कार्यशाला भवन में किये गये पूंजी निवेश पर सहायता अनुमन्य होगी। किराये की भूमि/भवन पर सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरण– मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीनें, संयंत्र व उपकरण इकाई की कार्यशाला में प्राप्त हो गये हों, उनके मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा। अन्य उपकरणों, जैसेः औजार, जिग्स, डाई, मोल्ड, परिवहन व्यय, डेमरेज व बीमा प्रीमियम के व्यय को भी, यदि यह पाया जाता है, मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु कार्यशील पूंजी, जैसेः कच्चामाल, उपभोग वाला भण्डार आदि को मशीनरी, उपकरण व संयंत्रों के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विविध परिसम्पत्तियों जैसेः कार्यालय उपकरण, विद्युत लाईन चार्जेज आदि पर सहायता देय नहीं होगी।

4. ऋण की पात्रता :

1. राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात् स्थापित होने वाली लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों तथा पूर्व से स्थापित लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों का पर्याप्त विस्तार, विविधीकरण व आधुनिकीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को यह सुविधा प्राप्त होगी।

2. इकाई को प्रदेश के सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में लघु, लघुत्तर एवं लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रम के रूप में प्रस्तावित अथवा स्थाई रूप से पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

3. स्व वित्त पोषित उद्योगों को भी योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त होगी।

4. इस योजना के अन्तर्गत दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों का तात्पर्य राज्य सरकार की "ब्याज प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2005" में विनिर्दिष्ट/ परिभाषित दूरस्थ क्षेत्रों से है।

5. पूंजी निवेश सहायता राज्य शासन/भारत सरकार/ वित्तीय संस्थाओं आदि, जहां भी पूंजी निवेश सहायता मिलती हो, में से किसी एक स्रोत से ली जा सकेगी। इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु उद्यमी को इस आशय का शपथ पत्र देना हो कि उन्होंने अन्य किसी स्रोत से पूंजी निवेश सहायता नहीं ली है और न ही आवेदन किया है एवं न ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त होने पर लेंगे।

5. राज्य पूंजी निवेश सहायता की मात्रा : भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत प्रदत्त सहायता से इतर दूरस्थ एवं पिछड़े पर्वतीय

Scanned with CamScanner

क्षेत्रों में 01.04.2005 के पश्चात् स्थापित नये अथवा पर्याप्त विस्तार/विविधीकरण अथवा आधुनिकीकरण करने वाली लघु/लघुत्तर इकाइयों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों को उनके द्वारा कार्यशाला भवन तथा मशीनरी एवं यंत्र संयंत्र पर किये गये स्थाई पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 1.00 लाख तक होगी, राज्य पूंजी निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में राज्य शासन, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु औद्योगिक इकाई अपने को सम्बन्धित जिला के जिला उद्योग केन्द्र में योजनान्तर्गत पंजीकृत करायेगी।
2. पंजीकरण हेतु प्रस्तावित योजना का प्रारूप, प्रस्तावित लघु उद्योग पंजीयन, वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण हेतु दिये गये आवेदन पत्र का प्रमाण पत्र (जैसी भी स्थिति हो) जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।
3. इकाई में अचल स्थाई निवेश करने के उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र पर राज्य निवेश सहायता पत्र निम्न प्रमाण पत्रों/साक्ष्यों के साथ देना होगा:-

(क) स्थाई लघु उद्योग पंजीयन प्रमाण-पत्र/उत्पादन प्रमाण-पत्र।

(ख) वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा स्वीकृत/वित्तीय ऋण प्रमाण-पत्र (यदि ऋण लिया हो)।

(ग) स्थाई पूंजी निवेश सम्बन्धी तिथिवार, मदवार निवेशित व्ययों की सूची एवं बिल वाउचर।

(घ) रु0 50,000.00 से अधिक का अनुदान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण-पत्र।

(ड) उद्योग स्थापना हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से वांछित स्वीकृतियों/अनुमोदनों/अनापत्तियों की प्रमाणित प्रतियां।

7. अन्य :

जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा सहायता स्वीकृत होने के पश्चात् स्वीकृति की दशा में महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें अनुमोदित अचल पूंजी निवेश एवं स्वीकृत अनुदान राशि का उल्लेख होगा। स्वीकृत आदेश के साथ औद्योगिक इकाई व राज्य शासन के मध्य एक अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, जिसका प्रारूप विभाग निर्धारित करेगा। यह अनुबन्ध राज्य शासन की ओर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं इकाई के मध्य निष्पादित किया जायेगा।

अनुबन्ध निष्पादित होने के पश्चात् अनुदान का वितरण विभागीय बजट आवंटन उपलब्ध होने पर किया जायेगा। विभागीय आवंटन उपलब्ध न होने पर विलम्ब हो भुगतान हेतु राज्य शासन का कोई दायित्व नहीं होगा।

औद्योगिक इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् न्यूनतम 5 वर्ष तक अपना उद्योग चालू रखना होगा। नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग के बन्द होने या रुग्ण होने को उद्योग बन्द की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। नियंत्रण से परे कारणों पर निर्णय जिला उद्योग मित्र समिति द्वारा ही लिया जायेगा।

यदि औद्योगिक इकाई द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर अथवा कोई तथ्य छुपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया हो अथवा अनुदान वितरण एजेन्सी द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा सूचना जानकारी न दी जाय, तो पूंजी निवेश सहायता की वसूली एक मुश्त तथा भू-राजस्व वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

योजना के अन्तर्गत किसी बिन्दु पर विवाद होने पर राज्य शासन का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।

Scanned with CamScanner

संख्याः 1644/VII/98–उद्योग/2005

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून, दिनांकः 13 जून, 2005

विषयः पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लिये विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 399/उ.नि.–पी.एम.आर.वाई.–प्लस/05–06 दिनांक 09 मई, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में लघु स्तरीय उद्योगों तथा लघु स्तरीय सेवा एवं व्यवसाय उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उद्योग स्थापना के लिये वित्त पोषण को बढ़ावा देने तथा लघु उद्योग क्षेत्र में स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष राज्य पूंजी निवेश उपादान सहायता लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2– शसन द्वारा योजना के अनुमोदित प्रारूप एवं दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं। आपसे कहना है कि शासन द्वारा अनुमोदित योजना एवं दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1644/VII/98–उद्योग/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर–अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरांचल।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
7. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आंचलिक कार्यालय, 1–कैन्ट रोड, देहरादून।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तरांचल, सचिवालय परिसर, देहरादून को राज्य सरकार की बेबसाइट में प्रसारण हेतु।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

Scanned with CamScanner

Annexure-A

SSI inits in which the investment in fixed assets in Plant & Machinery is Rs. 5 crore.

Stationery Sector

1. Writing inks and fountain pen inks
2. Ball point pens
3. Fountain pens
4. pen nibs
5. Fountain pens and ball pens components excluding metallic tips
6. Pencils
7. Hand stapling machine
8. Paper pins
9. Carbon paper
10. Typewriter ribbon for mechanical typewriters
11. Hand numbering machines
12. Pencil sharpners
13. Pen holders

Drugs and Pharmaceuticals Sector

1. Para amoni phenol-Indl. grade.
2. Pyrazolones
3. Benzy benzonate
4. Niacinamide
5. Paracetamol
6. Methyl parabens and sodium salt starting from para hydroxy benzoic acid
7. Ethyl parabens and sodium salt starting from para hydroxy benzoic acid
8. Ethyl parabens and sodium salt starting from para hydroxy benzoic acid
9. Calcium gluconate
10. Alumium hydroxide gel

High-tech and Export Oriented Units

1. Cotton Cloth Knitted
2. Cotton Vests Knitted
3. Cotton Socks Knitted
4. Cotton Under Garments Knitted
5. Cotton Shawls Knitted
6. Other Cotton Knitted Wears
7. Wollen Cloth Knitted
8. Wollen Vests Knitted
9. Wollen Socks Knitted
10. Wollen Scarves Knitted
11. Wollen Under Garments Knitted
12. Wollen Caps Knitted
13. Wollen Shawls Knitted
14. Wollen Gloves
15. Wollen Mufflers Knitted
16. Other Wollen Knitted Wears
17. Hacksaw frames
18. Pliers
19. Screw drivers
20. Spanners
21. Hammers
22. Envils
23. Wood working saws
24. Wrenthes
25. Knives and Shearing blades (all types including those of matal, paper, bamboo and wood for manual operations)
26. Nail pullers
27. Chisels
28. Pincers
29. Wire cutters
30. Other hand tools for blacksmithy, carpentry, hand forging, foundry, etc.

Art Silk/Man made Fibre Hosiery

14. Synthetic Knitted Socks and Stocking
15. Synthetic Knitted Undewears such Vests Brief and Drawer
16. Synthetic Knitted Outerwears such Jersey silpovers pullover, Cardigans and Jackets
17. Synthetic Knitted childrenwear such as baby suit, knicker, frock, underwear and outer wear
18. Synthetic Knitted Fabrics Except highpile fabric made by sliver knitting and Synthetic Knitted blanketts
19. Synthetic Knitted swimwear such trunk and costume
20. Synthetic Knitwear such scarf, muffler, shawls, coties, blouse and gean
21. Synthetic Knitted shirt, T-shirt, Collar shirt and sports-skirts
22. Synthetic Knitted Hose
23. Synthetic Knitted Gas mantle fabric
24. Other Synthetic Knitwear

Scanned with CamScanner

Annexure-B

ILLUSTRATIVE LIST OF RECOGNISED SMALL SCALE SERVICE & BUSINESS (INDUSTRY-RELATED) ENTERPRISES (SSSBE)

1. Advertising Agencies
2. Marketing Consultancy
3. Industrial Consultancy
4. Equipment renting and leasing
5. Typing Centres
6. Photocopying Centres (Xeroxing)
7. Industrial photography
8. Industrial Testing Labs
9. Industrial Testing Labs
10. Desk Top Publishing
11. Internet Browsing/Setting up of Cyber Cafes
12. Auto repair service and garages
13. Documentary films on themes like, family planning, social forestry, energy conservation, commercial advertising
14. Laboratories engaged in testing of raw material, finished products
15. "Servicing Industry" Undertaking engaged in maintenance, repair, testing or servicing of all types of vehicles and machinery of any description including electronic/electrical equipment/instruments i.e. measuring/control instruments, televisions, tape recorders, VCRs, Radios, transformers, motors, watches etc.
16. Laundry and Dry cleaning
17. X-Ray Clinic
18. Tailoring
19. Servicing of agriculture farm equipment e.g. Tractor pump, rig, boring machine, etc.
20. Weigh Bridge
21. Photographic Lab
22. Blue printing and enlargement of drawing/designs facilities
23. ISD/STD Booths
24. Teleprinter/Fax services
25. Sub-Contract Exchanges (SCXs) established by non-government Industry Associations
26. EDP Institutes established by Voluntary Associations/Non-Government Organisations
27. Colour or Black and White Studios Equipped with processing laboratory
28. Ropeways in hilly areas
29. Installation & operation of Cable T.V. Networks

30. Operating EPABX under franchises
31. Beauty Parlours and Creches.

ILLUSTRATIVE LIST OF ACTIVITIES NOT RECOGNISED AS SMALL SCALE SERVICE AND BUSINESS (INDUSTRY-RELATED) ENDTERPRISES (SSSBES)

1. Transportation
2. Storage (except cold storage which is recognized as SSI)
3. Retail/Wholesale trade establishments
4. General Merchandize Stores
5. Sale outlets for industrial components
6. Health services including pathological laboratories
7. Legal Services
8. Educational Services
9. Social Services
10. Hotels

Scanned with CamScanner

फैसिलिटेशन काउन्सिल

लघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयों/सहायक इकाइयों को विलम्बित देय पर ब्याज आदि के भुगतान के सम्बन्ध में दीवानी वादों की प्रक्रिया के कारण इकाइयों को समय एवं धन की हानि होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा Interest on Delayed Payment Act, 1993 (Amended-1998) लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लघु औद्योगिक इकाइयों/सहायक इकाइयों के विलम्बित दावों से सम्बन्धित विवादों के त्वरित निराकरण हेतु प्रदेश में राज्य स्तर पर उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल का गठन किया गया। काउन्सिल के अन्तर्गत निम्न सदस्य शामिल होंगे:–

1.	सचिव एवं निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
2.	जिला विधि अधिवक्ता (सिविल), देहरादून	सदस्य
3.	सचिव, लघु उद्योग द्वारा नामित औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
4.	राज्य लीड बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	अपर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल	सदस्य सचिव

काउन्सिल एक आर्विट्रेटर या काउन्सिलेटर की हैसियत से विवादित भुगतान प्रकरणों का अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत निर्णय करेगी। अधिनियम के अन्तर्गत शासनादेश तथा परिषद को प्रस्तुत किये जाने वाले दावों, आवेदन–पत्र का प्रारूप एवं चैक लिस्ट प्रस्तुत हैं।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा
संख्या 2221/औ0वि0/182–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 06 नवम्बर, 2001

अधिसूचना

लघु औद्योगिक इकाइयों एवं सहायक इकाइयों को विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज से सम्बन्धित औद्योगिक अन्डरटेकिंग अधिनियम, 1993 (अधिनियम सं0 32, 1993) के अनुच्छेद 7–बी में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय इण्डस्ट्रीयल फैसीलिटेशन की स्थापना किये जाने हेतु रिक्तियों को भरने और कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 की शक्तियों के अधीन उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 172/18–5–2000–18 (एस.पी.)/92, दिनांक 22 जनवरी, 2000 में कतिपय संशोधनोपरांत निम्न नियमों को विनियमित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उत्तरांचल इण्डस्ट्री फैसीलिटेशन काउंसिल नियम, 2001

(1) ये नियम उत्तरांचल प्रदेश इण्डस्ट्री फैसीलिटेशन काउंसिल, 2001 कहलायेंगे। — लघुशीर्षक एवं प्रारम्भ

(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल तथ्य न हों, इन नियमों में:– परिभाषायें

(अ) "एक्ट" का तात्पर्य स्माल स्केल इण्डस्ट्री और सहायक इण्डस्ट्री में विलम्ब से हुए भुगान पर ब्याज, औद्योगिक अन्डरटेकिंग अधिनियम, 1993 से है।

(ब) "परिषद" का तात्पर्य उपरोक्त अधिनियम के अनुच्छेद 7–ए के अधीन स्थापित उत्तरांचल इण्डस्ट्री फैसीलिटेशन काउंसिल से है।

(स) "सदस्य" का तात्पर्य परिषद के सदस्य तथा अध्यक्ष से है।

3. (1) परिषद में निम्न सदस्य शामिल होंगे:– परिषद की संरचना

(अ) सचिव एवं निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल	अध्यक्ष
(ब) जिला विधि अधिवक्ता (सिविल)श देहरादून	सदस्य
(स) सचिव, लघु उद्योग द्वारा नामित, औद्योगिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
(द) राज्य लीड बैंकों के प्रतिनिधि	सदस्य

4. अपर निदेशक (उद्योग) अथवा सचिव, उद्योग द्वारा नामित अपर निदेशक (स्टोर एवं पर्चेज) परिषद के सचिव परिषद् के सचिव होंगे।

5. परिषद के निम्नलिखित कार्य होंगे:–

(अ) परिषद् एक आर्विट्रेटर या काउंसिलेटर की हैसियत से उसको सन्दर्भित प्रकरणों को अधिनियम के नियम 6 के उप–नियम (1) के अनुरूप निर्णित करेगी।

(ब) परिषद् का संदर्भित विवादित मामलों एवं जिनमें पक्षकार सहमत न हों या सहमति सम्भव न हो सके, ऐसे मामलों पर परिषद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वह राशि निर्धारित करेगी, जो खरीदार से आपूर्तिकर्ता को विलम्बित भुगतान व उस पर ब्याज सहित सम्मिलित होगा, यह प्रक्रिया आर्बिट्रेशन एवं

Scanned with CamScanner

काउंसिलीटेशन अधिनियम, 1996 पर आधरित होगी तथा उपरोक्त सभी विवादों के लिये निर्णय (एवार्ड) लिखित रूप से परिषद् घोषित करेगी।

अनुमन्य प्रक्रिया 1. (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी।
(2) सदस्यों को बैठक हेतु दिनांक आदि की सूचना देने का उत्तरदायित्व सचिव परिषद् का होगा।
(3) परिषद् के समक्ष विचार हेतु रखे जाने के लिये सभी सन्दर्भ परिषद् के सचिव द्वारा प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व होगा।
(4) नियमों के अन्तर्गत तैयार किये गये परिषद् का निर्णय (एवार्ड) परिषद् के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।
(5) ऐसी स्थिति में जहाँ परिषद् के सदस्य किसी बिन्दु पर एक मत न हो तो वह निर्णय मान्य होगा, जिस पर परिषद् के अधिक सदस्य सहमत हों, अर्थात् ऐसी स्थिति में निर्णय बहुमत से लिया जोयगा।

आज्ञा से,

एस0 कृष्णन,
सचिव।

पृष्ठांकन सं0 2221/औ0वि0/182–उद्योग/2001, तद्दिनांकितः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल शासन।
2. परिषद के समस्त सदस्यगण।
3. उपनिदेशक रुड़की प्रेस (राजकीय मुद्रणालय) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उक्त अधिसूचना असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 60 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. गार्ड–फाइल।

एस0 कृष्णन,
सचिव।

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा

संख्या 101/औ0वि0/01/182–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर, 2001

ज्ञाप

उत्तरांचल इण्डस्ट्रीज फैसिलिटेशन काउन्सिल के स्थापना विषयक उत्तरांचल औद्योगिक विकास शाखा द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना संख्या 2221/औ0वि0/01/182–उद्योग 2001 देहरादून दिनांक 6 नवम्बर, 2001 के अनुसार उत्तरांचल इण्डस्ट्री फैसिलिटेशन परिषद में निम्नलिखित औद्योगिक संगठनों को एतद्द्वारा नियमित सदस्य नामित किया जाता है।

1. अध्यक्ष कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
2. अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एशोसियेशन देहरादून।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष उत्तरांचल इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून को को–आप्टेड सदस्य नामित किया जाता है।

(एस0 कृष्णन)
सचिव उद्योग

उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून
सं0 630/उ0नि0/01 देहरादून : दिनांक 03 दिसम्बर, 2001

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. अध्यक्ष कुमाऊँ गढ़वाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स इण्डस्ट्रीज काशीपुर, ऊधमसिंह नगर।
3. अध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।
4. अध्यक्ष उत्तरांचल इंडस्ट्रीज एशोसियेशन, देहरादून।
5. परिषद के अन्य सभी सदस्यगण।

संयुक्त निदेशक उद्योग/
नोडल अधिकारी उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार द्वारा निर्गत इन्टरेस्ट ऑन डिलेटपेमेन्ट टू स्माल स्केल एण्ड एन्सिलरी इण्डस्ट्रीयल अन्डरटेकिंग्स एक्ट 1998 के तहत प्रदेश में गठित इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन कौन्सिल के समक्ष लम्बित भुगतान के दावों की याचिका हेतु आवेदन–पत्र का निर्धारण प्रारम्भ।

क्लेग पेटीशन का प्रारूप

मैसर्स ——————————————————
—————————— वादी

बनाम

मैसर्स ——————————————————
—————————— प्रतिवादी

मैं —————————— आयु ———— वर्षपुत्रणी ————
निवासी
वादि इकाई मैसर्स —————————— पता ————

जो एक लघु उद्योग/एन्सिलरी इकाई है, का स्वामी/भागीदार/अध्यक्ष/सचिव/पेटीशन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत प्रस्तुत करता हूँ तथा वादी इकाई की ओर से निम्न क्लेम पेटीशन ससम्मान प्रस्तुत करता हूँ।

लघु उद्योग/अनुपूरक इकायों को उनके लम्बित भुगतान पर ब्याज देय करने के अधिनियम, 1999 (संशोधित) अधिनियम 32/1998 की धारा ———— के अधीन क्लेम पेटीशन

प्रस्तर 1	विवाद का मुख्य कारण	
प्रस्तर 2	लघु उद्योग/एन्सिलरी इकाई का प्रमाण–पत्र	
प्रस्तर 3	लम्बित देयों के भुगतान हेतु प्रेषित नोटिस व अनुस्मारक नोटिस का साक्ष्य सहित उल्लेख	
प्रस्तर 4	यदि वाद से सम्बन्धित 'प्रतिवादी' उत्तरांचल के अतिरिक्त किसी अन्य प्रदेश का है तो वादी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र कि सम्बन्धित वाद किसी न्यायालय/फोरम में प्रस्तुत नहीं किया गया है/लम्बित नहीं है। पेटीशन के साथ प्रस्तुत किया जाए।	

प्रस्तर 5	आपूर्ति आदेश या अन्य साक्ष्य की प्रति (मात्रा, दर, भुगतान की शर्त के उल्लेख सहित)	
प्रस्तर 6	मूलधन का भुगतान लम्बित होने की दशा में आपूर्ति की सामग्री का: 1. नाम 2. मात्रा 3. आपूर्ति की दिनांक 4. क्रेता द्वारा निर्गत माल प्राप्ति की (रसीद प्रति संलग्न करे)	

प्रस्तर 7	देय भुगतान में विलम्ब एवं लम्बित अवधि पर देय ब्याज का ब्यौरा आपूर्ति आदेश वार (Supply orderwise)				
आपूर्ति आदेश सं0 दिनांक	प्राप्त भुगतान की			प्राप्त भुगतान में विलम्ब की अवधि दर पर ब्याज दि0 से तक	
	धनराशि	तिथि	विलम्ब की अवधि	ब्याज दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6

लम्बित अवशेष मूल धनराशि पर ब्याज दिनांक से तक			ब्याज की कुल देय धनराशि दिनांक से तक (8+9)	कुल लम्बित धनराशि (मूलधन+ब्याज) (7+10)
अवशेष मूल धनराशि	विलम्ब की अवधि	ब्याज की धनराशि प्रतिशत		
7	8	9	10	11

प्रस्तर 8	क्लेम पेटीशन शुल्क रु. 1000 नकद बैंक ड्राफ्ट सं0 दिनांक द्वारा उत्तरांचल फेसिलिटेशन कौन्सिल के कार्यालय में जमा करने की पुष्टि।	
प्रस्तर 9	अनुतोश हेतु प्रार्थना	

Scanned with CamScanner

फेसिलिटेशन काउन्सिल की बैठक दिनांक 17.02.04 द्वारा निर्धारित चैक लिस्ट

1. क्लेम पिटीशन (8 + प्रतिवादियों की संख्या के बराबर)।
2. क्लेम पिटीशन की प्रत्येक प्रति के साथ एक इन्डेक्स लगाएं।
3. क्रेता फर्म के स्तर पर देय तिथि के तीन वर्ष के अन्दर पिटीशन द्वारा 15 दिन की दी गई पंजीकृत नोटिस की प्रति (8 प्रतियाँ)।
4. दी गई नोटिस के अनुस्मारक के रूप में भेजे गये पंजीकृत पत्र की प्रतिलिपि जिसमें यह उल्लेख हो कि 15 दिन के अन्दर भुगतान न करने पर मामला फेसिलिटेशन काउन्सिल को संदर्भित कर दिया जाएगा (8 प्रतियाँ)
5. क्लेम पेटीशन 8 + प्रतिवादियों की संख्या के बराबर सेटों में प्रस्तुत किया जाए।
6. पेटीशन शुल्क रु. 1000.00 जमा करना भी सुनिश्चित करे अथवा "उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल" के नाम से चैक ड्राफ्ट प्रेषित करें।
7. याची अपने क्लेम पेटीशन की प्रतियाँ पंजीकृत डाक द्वारा प्रतिवादियों को सीधे भेजना सुनिश्चित करे एवं इस सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र पिटीशन के साथ संलग्न करे (8 प्रतियाँ)
8. लघु स्तरीय/पूरक उद्योग के साथ में विभाग से निर्गत पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रति (8 प्रतियाँ)
9. आपूर्ति आदेशों का प्रतियाँ (8 प्रतियाँ)
10. अनुबंध की प्रति जिसमें:– (8 प्रतियाँ)
    (क) भुगतान की शर्त का उल्लेख हो।
    (ख) इंस्पेक्शन क्लाज का उल्लेख हो।
11. माल प्राप्ति/स्वीकार होने का प्रमाण–पत्र
12. भुगतान हेतु लम्बित धनराशि का स्पष्ट उल्लेख।
13. लम्बित भुगतान पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के प्राइज लेन्डिग रेट के आधार पर देय ब्याज सहित आगणित धनराशि के ब्यौरों का क्लेम पेटीशन में स्पष्ट उल्लेख।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अभिलेख भी आधार पर निम्न भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे:

---

(1) क्लेम पेटीशन की प्रत्येक प्रति सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

(2) चैक लिस्ट के अनुसार अभिलेखों एवं उनके एनक्जर सं0 का उल्लेख करते हुए पेटीशन की प्रत्येक प्रति पर इन्डेक्स लगाए।

प्रेषक,

अपर निदेशक उद्योग,
सचिव–परिषद,
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल,
देहरादून।

सेवा में,

मै0 _____

_____

_____

पत्रांक _____

विषयः _____ को की गई आपूर्ति के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय अपने पत्र सं0 दिनांक के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है, संदर्भ लें।

इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि इस पत्र के साथ संलग्न "चैक लिस्ट" के अनुसार अपना क्लेम पेटीशन उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल, उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, सामग्री क्रय अनुभाग, देहरादून को शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें एवं साथ ही क्लेम पेटीशन शुल्क रु. 1000.00 (रु. एक हजार मात्र), नकद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा "उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल", के नाम से जमा/प्रेषित करें ताकि काउन्सिल द्वारा विचार किया जा सके।

संलग्नः

भवदीय

अपर निदेशक उद्योग
सचिव–परिषद्
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून

Scanned with CamScanner

पत्रांक /उपरोक्त तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तरांचल, संस्था इण्डस्ट्रीज मोहब्बेवाला इण्डस्ट्रीयल एरिया, देहरादून को उनके पत्र सं0 दिनांक के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर निदेशक उद्योग
सचिव–परिषद्
उत्तरांचल इण्डस्ट्री फेसिलिटेशन काउन्सिल,
उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून

औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें

उत्तरांचल राज्य के गठन के समय उद्योग स्थापना हेतु निम्न अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध थीं:–

1. उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान:
   (अ) वृहत् औद्योगिक आस्थान
   (ब) मिनी औद्योगिक आस्थान

उपरोक्त औद्योगिक आस्थानों की सूची संलग्न है। इनमें जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा आवंटन किया जाता है।

2. यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र:

3. कोऑपरेटिव औद्योगिक क्षेत्र:

उत्तरांचल राज्य में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) की स्थापना की गई है। सिडकुल द्वारा निम्न औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र विकसित किये गये हैं/जा रहे हैं:–

1. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, हरिद्वार:

बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार से लगी 1500 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की जा रही है। कई बड़ी कम्पनियां जैसे हिन्दुस्तान लीवर, एंकर, कन्ट्रोल एण्ड स्विचगियर आदि द्वारा अपना निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इस औद्योगिक आस्थान में भूमि आवंटन हेतु आवेदन–पत्र तथा नियम एवं शर्तें संलग्न है।

2. एकीकृत औद्योगिक आस्थान, पन्तनगर:

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में लगभग 3500 एकड़ भूमि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त औद्योगिक आस्थान विकसित किया जा रहा है। इस आस्थान में एग्रो पार्क, एपरल पार्क, हर्बल पार्क, बायोटेकनिकल पार्क, फार्मास्युटिकल पार्क विकसित किये जा रहे हैं। पारले, डाबर, ब्रिटानिया आदि कम्पनियों द्वारा यहां अपनी इकाई स्थापित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

3. ग्रोथ सेन्टर, कोटद्वार:

भारत सरकार की ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत कोटद्वार के पास लगभग 150 भूमि पर ग्रोथ सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

Scanned with CamScanner

4. आई0टी0 पार्क, देहरादूनः

देहरादून के सहस्त्रधारा रोड पर 50 एकड़ भूमि पर आई0टी0 पार्क की स्थापना की जा रही है।

5. एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्रः

लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की आई0आई0डी0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में लगभग में एक–एक आई0आई0डी0 स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रारम्भ में देहरादून, पन्तनगर एवं हरिद्वार में आई0आई0डी0 स्थापित किये जा रहे हैं।

6. सितारगंज में औद्योगिक आस्थानः

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में राज्य सरकार द्वारा 1500 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

7. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापनाः

प्रदेश की औद्योगिक नीति के अनुरूप औद्योगिक आस्थानों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों की स्थापना हेतु नीति निर्धारित की गई है, जो संलग्न है। अब तक राज्य में निजी क्षेत्र में 4 औद्योगिक आस्थानों के प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान

1. वृहद विकसित औद्योगिक आस्थानः

क्रम सं0	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	देहरादून	1. पटेल नगर	10.00
		2. विकास नगर	4.00
2.	पौड़ी	1. सितावपुर	7.00
		2. श्रीकोट	11.63
3.	हरिद्वार	1. रुड़की	30.227
		2. रानीपुर	16.00
4.	नैनीताल	1. भीमताल	7.00
5.	ऊधमसिंह नगर	1. काशीपुर	19.99
		2. रुद्रपुर	11.26
6.	अल्मोड़ा	1. पाताल देवी	3.3
7.	बागेश्वर	1. गरुड़	6 शेड
8.	पिथौरागढ़	1. विण	7.00

2. मिनी औद्योगिक आस्थानः

क्रम सं0	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	देहरादून	1. रानीपोखरी	2.35
		2. छरवा	2.55
		3. रगवाड़	3.22
2.	पौड़ी	1. बुवारवाल	2.15
3.	टिहरी	1. नागणी (चम्बा)	1.67
		2. लक्ष्मोली (देवप्रयाग)	1.71
		3. सरोठ (छाम)	2.57
4.	चमोली	1. कालेश्वर (कर्णप्रयाग)	2.07
5.	रुद्रप्रयाग	1. मटवाणी सैण	2.50
6.	उत्तरकाशी	1. मोरी	2.68
		2. डुण्डा	1.11
		3. गवाणा	1.10
		4. पुरोला	1.60

Scanned with CamScanner

7.	हरिद्वार	1. लक्सर (पिपली)	2.50
8.	नैनीताल	1. बेतालघाट	2.50
9.	ऊधमसिंह नगर	1. किच्छा	2.45
10.	चम्पावत	1. चम्पावत (पुनेठी)	2.50
11.	अल्मोड़ा	1. द्वाराहाट (ताड़ीखेत)	2.798
		2. भिकिया सैण	2.35
		3. चिलियानौला	2.118
12.	पिथौरागढ़	1. गुनरयारी	1.906

3. यू0पी0एच0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रः

क्रम सं0	जनपद	औद्योगिक आस्थान/स्थान का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	देहरादून	1. रोलाकुई	260.00
2.	टिहरी	1. ढालवाला	25.47
3.	पौड़ी	1. जशोदरपुर	81.96
		2. बलगद्रपुर	26.00
4.	चमोली	1. शिमली	28.85
5.	हरिद्वार	1. हरिद्वार	106.13
		2. बहादराबाद	132.55
		3. लण्ढौरा	102.99
6.	नैनीताल	1. भीमताल	107.85
		2. पीपलसाना	30.18
7.	चम्पावत	1. शक्तिपुर	8.30
8.	ऊधमसिंह नगर	1. बाजपुर–1	43.76
		2. बाजपुर–2	43.75
		3. काशीपुर	97.78
		4. हेमपुर	803.00
		5. खटीमा	25.79
9.	अल्मोड़ा	1. मोहान	46.00

उत्तरांचल शासन
औद्योगिक विकास शाखा–1
संख्या 1234/औ0वि0–1/69–उद्योग/2001
देहरादूनः दिनांक 15 जनवरी, 2002
कार्यालय–ज्ञाप

यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 के उत्तरांचल में स्थित औद्योगिक आस्थानों में उद्यमियों द्वारा भू–खण्ड आवंटित किए जाने हेतु प्रस्तुत किये जा रहे आवेदनों पर विचार–विमर्श हेतु सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन की अध्यक्षता में एक समिति निम्नानुसार गठित की जाती हैः–

1. संचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तरांचल शासन — अध्यक्ष
2. प्रवन्ध निदेशक, यू0पी.एस0आई0डी0सी0लि0 का प्रतिनिधि (यदि प्रवन्ध निदेशक आवश्यक समझे) — सदस्य
3. क्षेत्रीय प्रवन्धक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0, मेरठ — सदस्य
4. संयुक्त निदेशक उद्योग/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल — सदस्य
5. महाप्रवन्धक, सम्वन्धित जिला उद्योग केन्द्र (जिस जनपद में भूखण्ड स्थित हो) — सदस्य

2. उक्त समिति भूखण्ड आवंटन के प्रकरणों पर तब तक विचार करती रहेगी जब तक यू0पी0एस0आई0डी0सी0लि0 की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण उत्तरांचल राज्य को नहीं हो जाता, सम्पत्तियाँ हस्तान्तरित होने के पश्चात् उक्त समिति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। उक्त समिति के सम्वन्ध में उत्तरांचल शासन अन्य निर्णय लेने हेतु भी सक्षम होगा।

एस0 कृष्णन,
सचिव।

पृष्ठांकनः /औ0वि0–1/69–उद्योग/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. समिति के समस्त सदस्यगण।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पुनीत कंसल,
अपर सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004

प्रेषक,

श्री संजीव चोपड़ा
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2004

विषयः उत्तरांचल राज्य में निजी क्षेत्र में नये औद्योगिक आस्थान केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक नीति, 2003 के अन्तर्गत सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक क्षेत्रों, निर्यात क्षेत्रों, थीम पार्कों, बायोपालिस, पर्यटक स्थलों, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, पारेषण व वितरण, सड़कों, विमानपत्तन आई0सी0डी0, एकीकृत औद्योगिक नगरों, नागरिक अवस्थापनाओं सहित अन्य अवस्थापना क्षेत्रों की परियोजनाओं में निजी क्षेत्रों की सहभागिता किये जाने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत एवं प्रमुख औद्योगिक घरानों द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता को देखते हुए यह भी निर्णय लिया गया है कि नये औद्योगिक केन्द्रों को स्थापित करने एवं उनके विकास हेतु स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता देते हुए निजी क्षेत्र, अप्रवासी भारतीयों, सावर्जजनिक क्षेत्रों तथा सहकारिता, पंचायती राज, नगर पालिका परिषदों आदि को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाय। इस निमित्त राज्य उपक्रम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (सिडकुल) देहरादून को नोडल एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। नोडल एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार विभिन्न क्षेत्रों के संचालकों/व्यवसायियों आदि से विचार–विमर्श किया गया है, जिसके आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं:–

1. संस्था/व्यवसायी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम 60 एकड़ भूमि तथा पर्वतीय इंलकों में न्यूनतम 30 एकड़ भूमि क्रय स्वयं करेगी तथा इन औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने हेतु प्रबन्धन करेगी।
2. इन क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व प्राधिकरण रेवेन्यू अथॉरिटी अग्नि शमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि द्वारा स्वीकृत/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि सम्बन्धी जो वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होगी वह संस्था/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

3. शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु निर्गत किये गये आदेशों के अनुसार भू–उपयोग एवं (Building Bye-laws) आदि का अनुपालन किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में (Development authority) विकास प्राधिकरण का कार्य सिडकुल सम्पादित करेगी।
4. इसके अलावा संस्था/कम्पनी को समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने वाली संस्था/कम्पनियों के पास यह विकल्प होगा कि वे सिडकुल को 11 प्रतिशत की निःशुल्क इक्यूटि उपलब्ध कराकर सिडकुल की भागीदारी प्रापत करने हेतु प्रस्ताव दे सकती है। इस स्थिति में सिडकुल संस्था को औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।
6. ऐसे औद्योगिक आस्थानों की अवस्थापना सुविधाओं की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था/कम्पनी होगी।
7. कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित की गयी दरों पर विपणन, विकास आदि किये जायेंगे।
8. निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान बनाने हेतु इच्छुक उद्यमी/संस्था इस आशय का आवेदन संक्षिप्त प्रोजेक्ट प्रोफाइल/प्री–फिजिबल्टी रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे एवं महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र 15 दिन के अन्दर विस्तृत आख्या निदेशक उद्योग एवं सिडकुल को प्रेषित करेंगे।

भवदीय,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

पृष्ठांकन : संख्या 11/1/औ0वि0/07–उद्योग/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया इसे उत्तरांचल वैबसाइट में प्रसारित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन एवं सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव।

Scanned with CamScanner

घोषित औद्योगिक एकीकृत विकास केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा औद्योगिक आस्थानों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय/संक्रमण के सम्बन्ध में व्यवस्था

प्रदेश में घोषित औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक आस्थानों तथा एकीकृत अवस्थापवना विकास केन्द्रों की भूमि से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ भूमि क्रय के सम्बन्ध में व्यवस्था निम्नवत् है:–

1. उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 154(4) (2) (ङ) के अनुसार कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र (2) औद्योगिक क्षेत्र (3) औद्योगिक आस्थान में भूमि खरीद सकता है।
2. धारा 154 के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न अधिनियम की धारा 154(4) (3) (क) (v) में दी गयी व्यवस्थानुसार औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ भूमि क्रय कर सकते हैं। औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की अनुमति के लिए व्यक्ति अथवा कम्पनी को विहित प्राधिकारी को आवेदन–पत्र वांछित प्रपत्रों सहित प्रस्तुत करना होगा।
3. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154(1) के अन्तर्गत 12.50 एकड़ से अधिक भूमि का संक्रमण प्रतिबन्धित है, किन्तु धारा 154(2) के अधीन कतिपय परिस्थितियों में उक्त सीमा से अधिक भूमि का संक्रमण राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है। अतः यदि कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी धारा 154(4) (3) (क) (v) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु 12.50 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करना चाहता है, तो उसे उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग–1 दिनांक 8 जनवरी, 1989 द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार भूमि के संक्रमण को प्राधिकृत किये जाने के लिए विहित अधिकारी को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना होता।

उत्तरांचल (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2004 तथा उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 8 जनवरी, 1989 की प्रतियां अग्रिम पृष्ठ पर मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध हैं।

संख्या 94/औ0वि0/2005–06

प्रेषक,

संजीव चोपड़ा,
सचिव,
औद्योगिक विकास,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग

देहरादूनःदिनांक 3.6.2005

विषयः औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों/शेडों के विभाजन की प्रक्रिया एवं स्थापित उद्योगों के अतिरिक्त उपयोग में न आने वाली भूमि पर उद्योग स्थापना तथा प्रथम तल पर निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–460/18–2–2001–67ल0उ0/98 दिनांक 13.03.2001 के क्रम में उत्तरांचल राज्य हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के फलस्वरूप तथा उत्तरांचल में औद्योगिक विकास हेतु उपलब्ध भूमि की कम उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक आस्थानों में प्लाटों/शेडों के विभाजन की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:–

प्लाट का विभाजनः–

(क) इकाई का भूखण्ड/शेड 800 वर्गमीटर या उससे अधिक होने के दशा में इकाई, जो अपने भूखण्ड/शेड में दूसरे उद्योग की स्थापना करेगी या किराये पर देगी, उसका क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(ख) किसी भी इकाई को भूखण्ड/शेड पर एक से अधिक किरायेदार रखने की अनुमति नहीं होगी तथा किरायेदार किसी अन्य को आंशिक रूप से किराये पर देने हेतु अधिकृत नहीं होगा।

(ग) किराये पर दिये गये भू–भाग की अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी। साथ ही किरायानामा पंजीकृत होगा। इसके अतिरिक्त वह केवल उसी कार्य को कर सकेगा, जिसके लिये मुख्यालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। अन्य कार्य को करने पर किरायेदारी स्वतः निरस्त हो जायेगी।

(घ) किराये के भाग में स्थापित होने वाली इकाई का उत्पाद पुरानी इकाई के उत्पाद के समान ही होमोजीनियस प्रकृति का होगा।

Scanned with CamScanner

इकाईयों के प्रथम तल के निर्माण के सम्बन्ध में :–

(क) इकाइयों को प्रथम तल पर भवन निर्माण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति एवं सिडकुल के जनरल डेवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशन (जी0आर0डी0सी0–2004) के तहत सक्षम प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा। निर्मित भवन की कुल ऊँचाई किसी भी दशा में 10 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(ख) इकाई के भूखण्ड के प्रथम तल पर केवल भूतल पर स्थापित उद्योग के अनुरूप लाइट इंजीनियरिंग के कार्य, निरीक्षण, परीक्षण आदि ऐसे तत्सम्बन्धी गतिविधियों के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाया जायेगा।

(ग) जीर्ण–क्षीर्ण शेडों के पुनर्निर्माण हेतु इकाई द्वारा निर्माण कार्य सक्षम प्राधिकरण/प्राधिकृत अधिकारी विनियमित क्षेत्र जो भी लागू हों, स्थानीय बायोलॉज एवं नार्मस के अनुसार कराया जायेगा तथा जिस कार्य हेतु अनुमति प्रदान की गई है, वही कार्य प्रस्तावित कार्यशाला भवन में किया जायेगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखण्डों/शेडों को किराये पर दिये जाने की अनुमति एवं इकाई के प्रथम तल पर भवन निर्माण की अनुमति अन्य किसी भी प्रकार का परिवर्तन इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है, समुचित प्रस्ताव उद्योग निदेशक को स्वीकृत/अनुमोदन के लिये भेजे जायेंगे तथा उद्योग निदेशालय का अनुमोदन प्राप्त होने पर कार्य निष्पादित किया जायेगा। सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त प्राविधानों/नियमों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत होंगे।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,
औद्योगिक विकास।

संख्या 94/औ0वि0/2005–06 तद्दिनांकित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, देहरादून।
3. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(संजीव चोपड़ा)
सचिव,
औद्योगिक विकास।

राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल)

राज्य में अवस्थापना विकास सम्बन्धी कार्य राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे हैं। उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराना तथा अवस्थापना विकास का कार्य राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) द्वारा प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज तथा प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करने, पूँजी निवेश आकर्षित करने तथा मैत्रीपूर्ण उद्योग नीति के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य, निवेशकों हेतु एक अत्यन्त आकर्षक एवं उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है तथा उद्यमियों द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना की अभिरुचि निरन्तर दर्शायी जा रही है। प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों एवं बड़े तथा नव उद्यमियों द्वारा राज्य में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तीव्रगति से जारी है।

राज्य में निवेश के विभिन्न आँकड़ों एवं प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्तमान तक 2033 इकाइयों में रु. 9554 करोड़ का पूंजी विनियोजन तथा 120202 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने सम्भावित हैं। राज्य में नई औद्योगिक नीति के घोषणा के उपरान्त वर्तमान तक समुचित पूंजी निवेश की 260 से अधिक इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। इन इकाइयों में रु. 528 करोड़ के पूंजी विनियोजन के साथ 14172 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुये हैं।

- उद्यमियों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना विकास कार्यों, यथा: सड़कों का निर्माण, विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना तथा अन्य अवस्थापना विकास सुविधाओं हेतु शासन द्वारा वर्ष 2005–06 में कुल रु. 70 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई।
- उद्योगों को आधुनिक सुविधा युक्त औद्योगिक आस्थान उपलब्ध कराने हेतु जनपद हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान तक 785 एकड़ भूमि 509 औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराई गई है। इन इकाइयों में रु. 2250 करोड़ का पूंजी विनियोजन एवं 34500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होना सम्भावित है। वर्तमान तक इस औद्योगिक क्षेत्र में 39 औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। अन्य इकाइयाँ स्थापना के विभिन्न चरणों में है।
- पंतनगर में विकसित एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 320 इकाइयों को 658 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इन इकाइयों में रु. 1590 करोड़ का पूंजी विनियोजन एवं 26475 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वर्तमान तक 17 इकाइयाँ, जिनमें रु. 180 करोड़ से अधिक पूंजी विनियोजन हुआ है तथा 2700 से

Scanned with CamScanner

अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है, द्वारा उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य इकाइयाँ स्थापना के विभिन्न चरणों में है।

- राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं युक्त एकीकृत अवसंरचनात्मक केन्द्रों (IID'C) की स्थापना अधिक औद्योगिक सम्भावना वाले क्षेत्रों, यथा: देहरादून, हरिद्वार व पंतनगर में की जा रही है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिये भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तथा भूमि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को गति देने के दृष्टि से सिगड्डी, कोटद्वार में रु. 27 करोड़ की लागत से विकास केन्द्र की स्थापना 100 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। विकास केन्द्र की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 10 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। विकास सम्बन्धी कार्य प्रगति पर हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि की व्यवस्था आदि हेतु वर्ष 2005–06 में रु0 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। अतः राज्य सरकार से इसमें अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

- राज्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में त्वरित विकास हेतु प्रयत्नशील है। रिडकुल द्वारा देहरादून में सहस्त्रधारा रोड़ पर 60 एकड़ भूमि में आई.टी. पार्क विकसित किया जा रहा है। इस आई.टी. पार्क में 3–4 लाख मिलियन स्क्वायर फिट निर्मित एरिया दो साईबर टावरों के साथ, जिसमें एक लाख से अधिक स्क्वायर फिट बिल्ट–अप एरिया उद्यमियों हेतु प्लग एण्ड प्ले के रूप में उपलब्ध होगा, बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पार्क की 40 एकड़ भूमि में औद्योगिक इकाइयों हेतु प्लाट भी उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2005–06 में आई.टी. पार्क हेतु रु. 40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

- जनपद देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र, सेलाकुई में 50 एकड़ भूमि पर फार्मा सिटी का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में 20 इकाइयाँ, जिनमें रु. 175 करोड़ के पूंजी निवेश प्रस्तावित है, उत्पादन के विभिन्न चरणों में है। इन इकाइयों में 3727 से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है।

- राज्य में अवस्थापना विकास में संयुक्त क्षेत्र/निजी क्षेत्र की सहभागिता की नीति के अन्तर्गत ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार एवं देहरादून में सिडकुल, उद्योग संघों एवं निजी उद्यमियों के सहयोग एवं भागीदारी से 20 औद्योगिक आस्थानों की स्थापना की गई है। इन औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों में 725 एकड़ उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु उपलब्ध होगी।

कार्यरत वृहत एवं मध्यम तथा लघु उद्योग

राज्य में वृहत एवं मध्यम क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को एल0ओ0आई0/एम0ओ0यू0 आदि भारत सरकार की नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं। राज्य की नई औद्योगिक नीति एवं भारत सरकार के विशेष पैकेज के फलस्वरूप राज्य में वृहत उद्योगों/औद्योगिक घरानों ने उद्योग स्थापना में रूचि दर्शाई है। अब तक स्थापित एवं कार्यरत वृहत एवं मध्यम उद्योगों की संख्या निम्नवत हैं :

वृहत एवं मध्यम उद्योगों की संख्या

क्र. सं.	जनपद का नाम	कार्यरत इकाईयों की संख्या	पूंजी निवेश (करोड रू. में)	रोजगार
1	देहरादून	43	213.28	5555
2	पौडी	21	160.87	1258
3	टिहरी	4	6.59	226
4	हरिद्वार	37	13794.92	25393
5	नैनीताल	7	838.05	3428
6	बागेश्वर	1	9.97	539
7	ऊधमसिंहनगर	47	1064.10	10594
	योग :	160	16087.60	46993

लघु उद्योगों की स्थापना :

लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय के अधीन जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, नव उद्यमियों को सूचनायें एवं मार्गदर्शन, लघु उद्योग इकाईयों को फेसिलिटेशन, अवस्थापना सुविधायें एवं विपणन सुविधाऐं उद्योग निदेशालय के अधीन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में वर्ष 2004–05 में कुल 735 के लक्ष्य के विरूद्ध 749 लघु औद्योगिक इकाईयाँ एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित की गई, जिनमें कुल पूंजी विनियोजन रू0 5090.65 लाख है एवं 2934 को रोजगार प्राप्त हुआ। यह बीस–सूत्रीय कार्यक्रम का बिन्दु है। अआतः बीस–सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन इकाईयों की स्थापना का शत–प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण किया गया। एक लाख से कम पूंजी विनियोजन की भी 2066 लघु

Scanned with CamScanner

औद्योगिक इकाईयॉं स्थापित हुई हैं? जिसमें रू0 6.83 लाख का पूंजी विनियोजन हुआ 3712 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। वर्ष 2005–06 में भी बीस–सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली इकाईयों की स्थापना का लक्ष्य पूर्ण किया गया है। वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में जनपदवार स्थापित इकाईयों की संख्या का चार्ट आगे निम्नवत् दिया गया है।

एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित
लघु इकाईयों की संख्या

क. सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	60	63	105
2	ऊधमसिंहनगर	100	100	100
3	अल्मोड़ा	40	40	100
4	पिथौरागढ	40	41	103
5	बागेश्वर	25	28	100
6	चम्पावत	25	26	104
7	देहरादून	95	96	101
8	पौड़ी	80	80	100
9	टिहरी	60	62	103
10	चमोली	40	40	100
11	उत्तरकाशी	40	40	100
12	रूद्रप्रयाग	30	32	107
13	हरिद्वार	100	104	104
	योग :–	735	749	102

एक लाख से अधिक पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाईयों की संख्या

क.सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	70	70	100
2	ऊधमसिंहनगर	125	125	100
3	अल्मोडा	45	45	100
4	पिथौरागढ	42	44	104
5	बागेश्वर	27	27	100
6	चम्पावत	27	28	103
7	देहरादून	115	121	105
8	पौडी	95	95	100
9	टिहरी	65	72	110
10	चमोली	41	41	100
11	उत्तरकाशी	41	41	100
12	रूद्रप्रयाग	32	33	103
13	हरिद्वार	125	127	101
	योग :–	850	869	102

एक लाख से कम पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाईयों की संख्या वर्ष 2004–05

क.सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	175	150	86
2	ऊधमसिंहनगर	300	206	69
3	अल्मोड़ा	200	200	100
4	पिथौरागढ	150	151	101
5	बागेश्वर	50	50	100
6	चम्पावत	50	50	100
7	देहरादून	250	250	100
8	पौड़ी	200	200	100
9	टिहरी	175	175	100
10	चमोली	140	140	10
11	उत्तरकाशी	140	141	101
12	रूद्रप्रयाग	50	52	104
13	हरिद्वार	300	301	100
	योग :–	2180	2066	95

एक लाख से कम पूंजी विनियोजन वाली स्थापित इकाईयों की संख्या वर्ष 2005–06

क्र.सं.	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि
1	नैनीताल	175	175	100
2	ऊधमसिंहनगर	300	252	84
3	अल्मोड़ा	200	200	100
4	पिथौरागढ	150	103	68
5	बागेश्वर	50	50	100
6	चम्पावत	50	50	100
7	देहरादून	250	252	101
8	पौड़ी	200	200	100
9	टिहरी	175	175	100
10	चमोली	140	140	100
11	उत्तरकाशी	140	140	100
12	रूद्रप्रयाग	50	50	100
13	हरिद्वार	300	301	100
	योग :–	2180	2088	96

भारत सरकार द्वारा कराई गई लघु उद्योगों की तृतीय गणना :

भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ से मार्च, 2001 तक पंजीकृत समस्त लघु उद्योगों की गणना कराई गई। इस प्रकार कुल 27385 पंजीकृत इकाईयों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 15282 इकाईयॉ कार्यरत पाई गई। लघु उद्योगों की तृतीय गणना की राज्य स्तरीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें प्रत्येक जनपद में स्थापित इकाईयों संख्या, सर्विस व बिजनेस इकाईयॉ, अनुपूरक इकाईक्यॉ, महिला उद्यमी, कार्य की प्रकृति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग द्वारा स्थापित इकाईयॉ, बीमार इकाईयॉ, रोजगार सृजन, पूंजी निवेश, निर्यात आदि विभिन्न सूचनायें दी गई हैं। यह पुस्तिका प्रकाशित की जा चुकी है।

कुल कार्यरत पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या

क.सं.	जनपद का नाम	वर्ष 2005–06 कुल कार्यरत पंजीकृत लघु उद्योग
1	उत्तरकाशी	2607
2	चमोली	1839
3	रूद्रप्रयाग	770
4	टिहरी	2279
5	देहरादून	4019
6	पौड़ी	3016
7	हरिद्वार	4318
8	पिथौरागढ़	1525
9	बागेश्वर	669
10	अल्मोड़ा	2270
11	चम्पावत	465
12	नैनीताल	1704
13	ऊधमसिंहनगर	2175
	योग :	27656

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों का बैंकों के माध्यम से ऋण अनुदार सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें स्वतः रोजगार स्थापित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रू0 2 लाख तक की परियोजना एवं व्यवसाय में रू0 1 लाख तक की लागत के प्रोजेक्ट हेतु उद्यमियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में सहायता प्रदान करायी जाती है। इस योजना में उत्तरांचल राज्य की प्रगति देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से है तथा ऋण की वसूली का प्रतिशत भी अन्य राज्यों से अधिक है। वर्ष 2004-05 में योजना के अन्तर्गत 7000 के लक्ष्य के सापेक्ष 7435 लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किये गये, इसमें से 6215 लाभार्थियों को रू0 4206.15 लाख का ऋण वर्ष के अन्त तक वितरित किया जा चुका है। योजना की सफलता देखते हुये वर्ष 2005-06 से भारत सरकार द्वारा उत्तरांचल हेतु स्वतः रोजगार का लक्ष्य बढ़ाकर 8000 निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 की उपलब्धियों की तालिका आगे दी गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

वर्ष 2004-05
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		स्वीकृति का प्रतिशत	वितरित का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	नैनीताल	850	830	626.20	767	485.73	98	90
2	ऊधमसिंह नगर	970	934	673.60	868	630.30	96	89
3	अल्मोड़ा	620	679	451.03	589	366.16	110	95
4	पिथौरागढ़	430	481	312.65	415	269.75	112	97
5	बागेश्वर	170	181	150.15	180	134.25	106	95
6	चम्पावत	240	243	177.44	215	139.85	101	90
7	देहरादून	990	1128	846.00	976	683.20	114	90
8	पौड़ी	520	573	469.78	436	327.16	110	84
9	टिहरी	430	466	338.91	427	302.94	108	100
10	चमोली	400	430	265.78	338	204.81	108	86
11	उत्तरकाशी	280	315	197.62	240	160.41	113	89
12	रुद्रप्रयाग	130	154	115.74	131	96.76	118	101
13	हरिद्वार	970	1021	826.44	821	400.77	105	84
	योग:-	7000	7435	5350.25	6215	4206.15	106	89

वर्ष 2005-06(मार्च, 06)
(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं	जनपद	लक्ष्य	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण		स्वीकृति का प्रतिशत	वितरित का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि		
1	नैनीताल	987	952	725.20	834	610.93	96	84
2	ऊधमसिंह नगर	1075	947	687.00	834	570.25	88	78
3	अल्मोड़ा	711	747	496.00	596	360.00	105	84
4	पिथौरागढ़	178	211	184.80	205	183.74	119	115
5	बागेश्वर	489	558	356.20	446	280.87	114	91
6	चम्पावत	267	301	232.30	274	185.22	113	103
7	देहरादून	1155	1215	811.25	970	687.00	105	84
8	पौड़ी	578	661	560.63	495	384.37	114	86
9	टिहरी	444	529	394.06	483	329.07	119	109
10	चमोली	471	530	380.49	380	271.48	113	82
11	उत्तरकाशी	356	395	240.14	307	170.20	111	86
12	रुद्रप्रयाग	178	208	180.46	184	135.02	117	103
13	हरिद्वार	1111	1154	763.49	729	480.22	103	66
	योग:-	8000	8408	6081.00	6745	4573.27	105	84

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रगति का बैंकवार वर्गीकरण

वर्ष 2005–06

क्र.सं	बैंक का नाम	बैंक को भेजे गये आवेदन पत्र	बैंक द्वारा स्वीकृत संख्या	वितरित संख्या
1	भारतीय स्टेट बैंक	5936	3968	3363
2	पंजाब नेशनल बैंक	2741	1418	1095
3	केनरा बैंक	476	310	292
4	बैंक आफ इण्डिया	197	91	79
5·	सेन्ट्रल बैंक	412	222	165
6	पंजाब एन्ड सिंध बैंक	260	122	98
7	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	417	264	218
8	ओ0बी0सी0 बैंक	552	293	186
9	इण्डिया ओवरसीज बैंक	284	160	115
10	बैंक आफ बडौदा	973	599	459
11	इलाहाबाद बैंक	265	169	133
12	यूको बैंक	312	188	144
13	स्टेट बैंक आफ पटियाला	135	62	49
14	नैनीताल बैंक	609	471	293
15	विजया बैंक	15	9	6
16	देना बैंक	7	0	0
17	इण्डियन बैंक	17	8	5
18	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयरपुर	7	5	3
19	सिन्डीकेट बैंक	69	33	29
20	बैंक आफ महाराष्ट्र	8	0	0
21	कार्पोरेशन बैंक	15	11	9
22	यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया	2	2	1
23	आन्ध्र बैंक	5	3	3
24	यू0टी0आई0	0	0	0
25	यू0डी0एफ0सी0	0	0	0
26	कर्नाटक बैंक	1	0	0
27	बैंक ऑफ सौराष्ट्र	0	0	0
	योग :–	13735	8408	6745

प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस – 2005

राज्य में वर्ष 2005–06 में नई योजना के रूप में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस-2005 योजना प्रारम्भ की गई है, ताकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के जो सफल लाभार्थी लाभार्थियों की धनराशि रू0 716.86 लाख के आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये हैं, जिसके सापेक्ष अब तक 162 लाभार्थियों को धनराशि रू0 281.38 लाख का ऋण स्वीकृत कर 115 लाभार्थियों को धनराशि रू0 176.49 लाख वितरित किया जा चुका है।

पी0एम0आर0वाई0 प्लस की तालिका

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण	
		संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)	संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
1	नैनीताल	20	56.06	10	20.14
2	ऊधमसिंहनगर	15	26.00	8	17.22
3	अल्मोड़ा	10	20.90	4	10.10
4	बागेश्वर	4	22.93	2	5.84
5	पिथौरागढ़	15	17.65	12	11.65
6	चम्पावत	14	19.60	13	15.57
7	देहरादून	25	43.00	18	31.00
8	पौड़ी	11	20.22	11	20.22
9	टिहरी	20	17.49	19	16.81
10	चमोली	7	7.10	3	3.10
11	उत्तरकाशी	2	2.30	2	2.30
12	रूद्रप्रयाग	3	2.00	1	0.50
13	हरिद्वार	16	26.13	12	22.04
	योग:–	162	281.38	115	176.49

Scanned with CamScanner

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का स्वरूप

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एवं लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना श्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार परिषद

उद्यमिता विकास के कार्यक्रमों के विकास, नियोजन एवं कियान्वयन को गति प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास सलाहकार समिति में शासन द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सलाहकार नामित किये गये हैं। समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों को जनपदों में आयोजित किये जा रहे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है।

प्रदेश में शिक्षित युवाओं की बडी संख्या है, जिन्हें समुचित जानकारी एवं मार्गदर्शन देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वेतन आधारित सेवाओं में रोजगार की सीमित संभावनाओं को देखते हुये उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने में बेरोजगारी की विकट समस्या का न केवल समुचित समाधान होता है, अपितु प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी तेजी आती है। तहसील एवं विकास खण्ड स्तर पर मुख्य चुने हुये स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम विभाग द्वारा संपादित किये जाते हैं, ताकि भावी व उत्साही उद्यमियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक प्रशिक्षण, औद्योगिक जागृति व मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके ।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न उद्यम स्थापित करने हेतु जागरूकता, अभिप्रेरण, मार्गदर्शन तथा उद्योग स्थापना एवं उद्यम प्रबन्ध में प्रारम्भिक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने एवं इनकी गुणवत्ता बढाने की दृष्टि से राज्य में स्थापित विशिष्ट संस्थानों जैसे आइ.आई.टी. रूडकी, पंतनगर विश्वविद्यालय, ई.एस.टी.सी. आदि का भी सहयोग लिया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे निसीएट, नीसबड तथा स्थानीय स्तर पर भी प्रबन्ध एवं कार्यशाली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राज्य में उद्यमिता विकास सलाहकार समिति की देखरेख में इन कार्यक्रमों को और अधिक कारगर बनाया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं:-

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण क्रम के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एवं आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एवंनवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं-

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15-20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

द्विसाप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15-20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इंजीनियरिंग कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार सम्पादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ इण्टरप्रीनियरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20-25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्य में लगे फील्ड स्टाफ तथा जनपद के महाप्रबंधक, सांख्यिकी सहायक, सहायक प्रबंधक, अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) आदि को प्रदेश में व प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर के उच्च कोटी तथा प्रबन्धकीय तकनीकी संस्थाओं के अधीन उद्योगों की आधुनिक तकनीक व प्रबन्धन में प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे उद्यमियों को आधुनिक परिवेश में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न राजकीय अथवा प्रतिष्ठित संस्थान जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटरपिन्योरशिप एण्ड स्माल विजनिस डवलपमेन्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग आदि के तत्वाधान में आयोजित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2004–05 महें 102 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा वर्ष 2005–06 में अब तक 81 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वर्ष 2004–05 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं	जनपद	तीन दिवसीय		द्विसप्ताहिकी		छःसप्ताहिकी	
		कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0	कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0	कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0
1	नैनीताल	5	176	2	36	1	25
2	उद्यमसिंहनगर	4	129	1	20	1	28
3	अल्मोड़ा	5	167	1	20	1	25
4	पिथौरागढ़	10	224	0	0	1	22
5	बागेश्वर	4	226	1	25	0	0
6	चम्पावत	8	219	1	30	0	0
7	देहरादून	5	255	1	25	0	0
8	पौड़ी	5	181	1	25	1	26
9	टिहरी	9	325	2	50	1	25
10	चमोली	9	217	1	20	0	0
11	उत्तरकाशी	6	289	0	0	1	25
12	रूद्रप्रयाग	8	226	1	24	0	0
13	हरिद्वार	6	147	1	40	0	0
	योगः–	84	2821	13	315	7	176

वर्ष 2005–06 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं	जनपद	तीन दिवसीय		द्विसप्ताहिकी		चार सप्ताहिकी	
		कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0	कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0	कार्यक्रम सं0	प्रशिक्षित सं0
1	नैनीताल	11	445	3	63	1	27
2	उद्यमसिंहनगर	4	117	1	22	0	0
3	अल्मोड़ा	9	372	1	25	1	25
4	पिथौरागढ़	8	186	2	52	0	0
5	बागेश्वर	6	189	2	37	0	0
6	चम्पावत	11	272	1	27	0	0
7	देहरादून	6	215	1	25	0	0
8	पौड़ी	11	226	1	24	1	25
9	टिहरी	9	303	2	46	1	28
10	चमोली	9	250	1	54	0	0
11	उत्तरकाशी	9	435	2	50	1	26
12	रूद्रप्रयाग	11	272	4	99	0	0
13	हरिद्वार	11	261	3	65	1	25
	योगः–	115	3543	24	589	6	156

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन/सुविधायें

इस योजनान्तर्गत उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने, आई.एस.ओ. (9000–14000) प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु निम्न सीमा तक सहायता देने विषयक कार्यक्रमों कोक समन्वित किया गया है।

1. आई.एस.ओ. प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
2. पेटेन्ट रजिस्ट्रेशन हेतु व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम रू0 2.00 लाख।
3. प्रदूषण नियंत्रण साधनों के उपयोग पर प्रोत्साहन स्वरूप सहायता व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 1.00 लाख।

वर्तमान समय में इकाईयॉ स्थापनाधीन हैं, अतः आगामी वर्ष महें इकाईयॉ अधिक संख्या में इस लाभ को प्राप्त कर सकेंगी।

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों हेतु विशेष राज्य पूंजी उपादान

Scanned with CamScanner

पर्वतीय एवं दूरस्थ स्थानों पर औद्योगों पर ओद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा विशेष राज्य पूंजी उपादान योजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों में स्थापित होने वालेक उद्योगों को 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख तक की धनराशि पूंजी उपादान के रूप में अनुमन्य होगी।

एक मुश्त समाधान योजना

विभिन्न विभागीय ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि की वसूली एवं उद्यमियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत मूलधन की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु ब्याज में 75 प्रतिशत तक छूट दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

परिवहन सहायता योजना

पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को परिवहन लागतकम करने के दृष्टिकोण से शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को निकटतम रेलवे शीर्ष से कार्यशाला तक कच्चामाल लाने तथा तैयार गाल विकय हेतु ले जाने पर हुये परिवहन व्यय का निर्धारित दरों पर 75 प्रतिशत तक की सीमा तक धनराशि की प्रतिमूर्ति उपादान के रूप में की जाती है। योजना की अवधि भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2007 तक बढ़ाई जा चुकी है तथा इकाईयों के मामलों में अब उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से उपादान स्वीकृत किया जा रहा है।

औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमिनार व प्रचार प्रसार

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों, हथकरघा एवं हस्तशिल्पियों को विपणन प्रोत्साहन तथा प्रचार की दृष्टि से राज्य के जनपदों में पारम्परिक मेलों, शरदोत्सव, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय मेले, प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाती है। जनपद स्तर पर आयोजित औद्योगिक प्रदर्शनियों व शरदोत्सव के अलावा वर्ष 2004-05 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2003 तथा अप्रवासी भारतीय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया गया। इसके अलावा देहरादून में परेड ग्राउण्ड में उत्तरांचल फेयर काफट बाजार आदि आयोजित किया गया। ओ0एन0जी0सी0 स्टेडियम में विरासत 2004 के अवसर पर स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। हरिद्वार में कुम्भ मेले के अवसर पर विभाग द्वारा हथकरघा हस्तशिल्प एवं खादी की प्रदर्शनी आयोजित की गयी है। वर्तमान वर्ष 2005-06 में भी उक्त कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले प्रगति मैदान, नई दिल्ली में पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया गया। राज्य के पैवेलियन को विशेष प्रशंसा पुरूस्कार प्राप्त हुआ है। अप्रवासी भारतीय मेले मुम्बई में विभाग द्वारा भाग लिया गया है व विभिन्न राष्ट्रीय

प्रदर्शनियों के अलावा हथकरघा क्षेत्र में काशीपुर व देहरादून में विशेष राज्य स्तरीय दो हथकरघा प्रदर्शनियॉ आयोजित की गई।

जिला उद्योग केन्द्रों का आधुनिकीकरण

नव उद्यमियों को उद्योग स्थापना संबंधी सूचना एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराने व जनपद स्तर पर सूचनाओं एवं आंकड़ों के संग्रहण तथा योजनाओं के प्रभावी कियान्वयन व अनुश्रवण हेतु जिला उद्योग केन्द्रों को आधुनिकीकृत किया जा रहा है। जिला उद्योग केन्द्रों को कम्प्यूटर, इन्टरनेट सुविधाओं, जरनल्स, पत्र-पत्रिकायें तथा प्रोजैक्ट रिपोर्ट्स तथा उद्यमियों के मार्गदर्शन हेतु उपयुक्त सूचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री से सुसज्जित किया जा रहा है। वर्ष 2004-06 में भी रू0 24 लाख की धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2006-07 में भी योजना को और प्रभावी किया जा रहा है तथा सभी जनपदों को सूचना एवं विपणन सेवा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

उद्योग मित्र

1– **राज्य स्तरीय उद्योग मित्र :**

राज्य के उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। उद्योग मित्र की बैठक मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है। सचिव, औद्योगिक विकास इसके सदस्य सचिव है। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य एवं दायित्वों के संचालन हेतु शासन द्वारा माननीय उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग मित्र पद पर नियुक्ति की गई है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य :

राज्य स्तर पर उद्योग मित्र के कार्य निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं :–

1.1 राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण एवं लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय करना।

1.2 नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर निर्णय किया जाना, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा औद्योगिक विकास परिषद में निर्णय सम्भव न हो सकें।

1.3 राज्य में औद्योगिक रूग्णता को दूर करने हेतु प्रस्तावों पर विचार करना एवं मार्ग निर्देशन प्रदान करना।

1.4 औद्योगिक विकास में बाधक नियम, अधिनियम एवं शासनादेश जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर विचार एवं निर्णय करना।

1.5 ऐसे बिन्दुओं/प्रस्तावों, जो औद्योगिक नीति में समाहिहत नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में हैं, पर विचार एवं निर्णय करना।

2– **जनपद स्तरीय उद्योग मित्र :–**

राज्य की औद्योगिक नीति के कियान्वयन एवं जनपद स्तर पर उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण, उनके साथ सतत् संवाद एवं परामर्श एवं नये उद्योगों/उद्यमियों के प्रस्तावों पर विचार हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय उद्योग मित्र का गठन किया गया है। जिलाधिकारी इसके अध्यक्ष व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र इसके सदस्य सचिव हैं।

उद्योग मित्र की बैठक अधिक गतिविधियों वाले जनपद देहरादून, हरिद्वार ऊधमसिंहनगर तथा नैनीताल जनपदों में प्रत्येक माह में एक बार तथा शेष जनपदों में दो माह में एक बार आयोजित की जाती है।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र के कार्य :–

2.1 जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर स्वीकृतियों को सम्बन्धित विभाग द्वारा समय सीमा के अन्तर्गत जारी किये जाने की समीक्षा।

2.2 समयान्तर्गत जारी न होने वाली स्वीकृतियों के सम्बन्ध में एकल मेज व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुये स्वीकृतियॉ जारी करना एवं समयबद्ध आधार पर उनका कियान्वयन सुनिश्चित करना।

2.3 जनपद के उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही करना।

2.4 आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर मामलों को सन्दर्भित करना।

2.5 रूग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में विस्तृत कार्यवाही के साथ व्यक्तिगत मामलों पर सुस्पष्ट प्रस्ताव जिला स्तरीय उद्योगो मित्र द्वारा निर्णीत किये जायेंगे।

हथकरघा क्षेत्र

1– **दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित) :**

हथकरघा क्षेत्र की यह एक व्यापक योजना है। यह योजना विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2000–01 से चलाई जा रही है। नये पैकेज में केन्द्र सहायता का अनुपात 90:10 कर दिया गया है। योजना के अधीन बुनकर सहकारी समितियों व संस्थाओं को उनके उतपादन व कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की सुविधायें व सहायता समग्र रूप से प्रदान की जाती है, यथा–इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता, उपकरणों की आपूर्ति, विपणन प्रोत्साहन, डिजाइन सुधार, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार आदि। योजनान्तर्गत न्यूनतम 25 तथा अधिकतम 100 सदस्यों की बुनकर सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

2– **आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना (शत प्रतिशत केन्द्र पोषित) :**

हथकरघा उत्पादन कार्यकम को सुनियोजित आधार पर चलाने तथा बुनकरों कोक आवासीय सुविधायें एक साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में भारत सरकार द्वारा इस योजना का वित्त पोषण संशोधित किया गया है। योजना के अन्तर्गत अव ग्रामीण कार्यशाला के निर्माण की लागत में से रू0 7000 तक अनुदान एवं शहरी कार्यशाला निर्माण की निर्धारित लागत में से रू0 10000 तक अनुदान देय है, जिसके अन्तर्गत 50 से 75 वर्गफीट आकार की कार्यशाला बनाई जा सकती है। आवास से सम्बद्ध कार्यशाला निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित लागत में से रू0 18000

Scanned with CamScanner

6– हथकरघा स्टाक की बिक्री पर एकबारगी देय 10 प्रतिशत विशेष छूट की प्रतिपूर्ति:–

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2002–03 से प्रारम्भ की गई है। योजना के अन्तर्गत राज्य हथकरघा निगम/हथकरघा शीर्ष समितियों/अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समितियों/राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरधा वस्त्रों के विक्रय पर दी गई 10 प्रतिशत छूट की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ।

7– भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी :

भारतसरकार द्वारा वाराणसी में संस्थापित इस संस्थान के माध्यम से हथकरघा तकनीकी संस्थान में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स चलाया जाता है, जिसमें प्रदेश के लिये 2 सीटें आरक्षित कराई गई हैं। चयनित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रथम वर्ष में रू0 200/– द्वितीय वर्ष में रू0 225/– तथा तृतीय वर्ष में रू0 250/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। प्रत्येक वर्ष 2 अभ्यर्थी चयनित कर संस्थान में भेजे जाते हैं।

8– राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर :

राज्य के बुनकरों एवं छीपियों के उत्थान हेतु राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर की स्थापना वर्ष 1977 में की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बुनकरों/छपियों को हथकरघा क्षेत्र में मार्गदर्शन एवं आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर नई तकनीक की जानकारी प्रदान करना है। राज्य में कार्यरत बुनकरों/बुनकर सहकारी समितियों, छीपियों को स्वावलम्बी बनाने एवं बुनकरों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ–साथ विभिन्न हथकरघा क्षेत्र की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय संसाधन सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से उत्तरांचल राज्य द्वारा केन्द्र का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2003–2004 में केन्द्र का पुनर्गठन के फलस्वरूप 28 पद सृजित किये गये हैं, भवन की मरम्मत व रखरखाव का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा केन्द्र में कम्प्यूटर एडेड डिजाइन (कैड) सिस्टम की स्थापना की गई है तथा केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण सम्बन्धी गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी गई हैं। भारहत सरकार द्वारा भी इस केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना लागू की गई है, जिसके तहत हस्तशिल्पियों काके विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं, जिसमें सामान्य जागरूकता उत्पन्न करना, लक्षित समूहों को प्रोत्साहन, उत्पादन क्षमता, डिजाइन विकास, प्रौद्योगिकी संवर्द्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन प्रोत्साहन व वित्तीय एवं कल्याण, वर्कशेड आदि विभिन्न सहायतायें समग्र रूप से प्रदान की जाती है। एतद्विषयक आवेदन पत्र भारत सरकार द्वारा सीधे संग्रहीत किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अब तक 8 समितियों/स्वयं सेवा संस्थाओं के मामले स्वीकृत किये जा चुके हैं।

अरबन हाट की स्थापना:

हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान एवं प्रोत्साहन हेतु भारत सरकार द्वारा एक अरबन हाट की स्थापना देहरादून में की जा रही है। यह 70 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है तथा राज्य औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कियान्वित की जा रही है। इसके लिये भूमि की व्यवस्था देहरादून–हरिद्वार मार्ग पर की गई थी, किन्तु वहाँ पर फ्लाई ओवर प्रस्तावित होने के कारण इसका निर्माण बाधित हुआ है। योजना की विस्तृत परियोजना इन्टेक द्वारा तैयार की गयी है। परियोजना की कुल लागत रू0 181 लाख है।

उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा वर्ष 2005–06 में किये गये प्रमुख कार्य

- राज्य में शिल्प काष्ठकला के पुनर्जीवीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से उद्योग विभाग के विभिन्न पापडी काष्ठकला केन्द्रों के तकनीकी कर्मचारियों को

Scanned with CamScanner

एफ0आर0आई0, बम्बू बार्ड एवं सहारनपुर आदि स्थानों पर व्यवस्थित आधुनिक यन्त्र-संयत्र आदि का अवलोकन कर काष्ठकला के आधुनिक टूल्स एवं उपकरणों तथा तकनिकी जानकारी उपलब्ध कराई गयी एवं एफ0आर0आई0 के विशेषज्ञों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त एक कार्य योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव किया गया। इस संबध में श्रीनगर गढवाल में काष्ठ कला पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

- दिनांक 20 अप्रैल, 2005 से 26 अप्रैल, 2005 तक पिरान-ए-कलियर शरीफ में "दरगाह साबिरे पाक उर्स मेला" के अवसर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प किवास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से प्रतिभागियों ने भाग लिया।फ
- दिनांक 26 जून, 2005 से 30 जून, 2005 तक श्रीकोट-श्रीनगर गढवाल में "काष्ठ आधारित प्रतीक चिन्ह उद्योग" सांविनियर उद्योग के विकास पर कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जनपदों के शिल्पियों एवं विभागीय केन्द्रों के लगभग 40 लोगों द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यशाला में वन अनुसंधान संस्थान भारतीय पैकेजिंग संस्थान, लघु उद्योग सेवा संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, गढवाल विश्वविद्यालय, वन विकास निगम, वॉस एवं रेशा विकास परिषद आदि संस्थाओं/विभागीय अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा सक्रिय योगदान दिया गया।
- 'द्वितीय राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन-2005" के अवसर पर परिषद काफ्ट इन उत्तरांचल" प्रदर्शनी का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी में दिनांक 27 से 29 जुलाई, 2005 तक किया गया जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से 25 शिल्पियों/बुनकरों तथा रेशम विभाग, फल संरक्षण एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संस्थाओं द्वारा विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।
- दिनांक 29 अगस्त, 2005 को राजकीय डिजाइन केन्द्र, काशीपुर में विकास आयुक्त (हथकरघा) भारत सरकार द्वारा हथकरघा, क्षेत्र के विकास के लिये संचालित योजनाओं की जानकारी के उद्देश्य से नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ एवं परिषद के माध्यम से कुमायूँ मण्डल के जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बुनकरों द्वारा भी भाग लिया गया।
- देहरादून में दिनॉक 20.10.05 से 30.10.05 तक काफ्ट बाजार का आयोजन किया गया। इस मेले में प्रदेश व देश के विभिन्न प्रदेशों के हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विपणन एवं प्रदर्शन हेतु 200 स्टाल निर्मित किये गये। मेले में लगभग रू0 2.00 करोड की बिक्री हुई।
- उत्तरांचल राज्य स्थापना की पॉचवी वर्षगॉठ के अवसर पर तृतीय राज्य स्थापना दिवस व्याख्यान का आयोजन दिनॉक 8 नवम्बर, 2005 को किया गया, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम0एम0 वैंकटचलैया को माननीय मुख्य मंत्री उत्तरांचल द्वारा सम्मानित किया गया।

- दिनॉ 14 नवम्बर, 2005 से 27 नवम्बर, 2005 तक "भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2005" प्रगति मैदान, नई दिल्ली में उत्तरांचल राज्य द्वारा पार्टनर स्टेट के रूप में भाग लिया गया। उत्तरॉचल राज्य के महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले में उत्तरॉचल पैवेलियन का भ्रमण एवं अवलोकन किया गया। वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा उत्तरॉचल के समस्त जनपदों में एन0आई0सी0 के माध्यम से उत्तरॉचल पैवेलियन का सजीव प्रसारण किया गया। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा उततरॉचल को पार्टनर स्टेट के रूप में सराहनीय सहभागिता के लिये पुरस्कृत किया गया। मेले में राज्य के 40 से अधिक उद्यमियों, शिल्पियों, बुनकरों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मेले में लगभग रू0 1.00 करोड़ के हस्तशिल्प/हथकरघा एवं कृषि व प्रसंस्कृत फल उत्पादों की बिक्री हुई तथा लगभग रू0 10.00 करोड़ के आडर्स प्राप्त हुये।
- विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार के सहयोग से दिनॉक 21-12-2005 से 4-1-2006 तक देहरादून में स्पेशल हैण्डलूम एक्स्पो का आयोजन किया गया। हथकरघा उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु 100 स्टाल लगाये गये जिनमें राज्य के 60 हथकरघा सहकारी समितियों/बुनकरों तथा अन्य प्रदेशों के 40 सहकारी समितियों/बुनकरों द्वारा भाग लिया गया। एक्स्पों में लगभग 1.15 करोड़ की बिक्री हुई।
- 26 जनवरी, 2006 को गणतन्त्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउण्ड, देहरादून में हथकरघा, हस्तशिल्प एवं खादी क्षेत्र की थीम पर आधारित झॉकी परिषद द्वारा तैयार की गयी जिसमें विभागीय कार्य-कलापों का प्रस्तुतीकरण किया गया।परिषद की झॉकी को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

1-नीति (Policy)

भारत सरकार की औद्योगिक नीति

भारत वर्ष यद्यपि एक कृषि प्रधान देश है, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार वृद्धि की सम्भावनाओं को देखते हुये गैर कृषि क्षेत्र में विगत वर्षो की तुलना में अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ प्राप्त की हैं। गत वर्ष कृषि क्षेत्र तथा उद्योग व्यापार क्षेत्र मेंह सकल घरेलू उत्पाद की दर 70 प्रतिशत है। इसी प्रकार गत वर्ष कृषि क्षेत्र में रोजगार 15 प्रतिशत था, जो अब 19 प्रतिशत है तथा सेवा व्यवसाय में 21 से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अतः स्पष्ट है कि उद्योग व सेवा व्यवसाय क्षेत्र में निरन्तर रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है एवं उद्योग व सेवा क्षेत्र में कुल 46 प्रतिशत रोजगार के अवसर सृजित हो रहे है।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार स्तर पर औद्योगिक नीति एवं संवद्धन विभाग स्थापित है तथा विकास आयुक्त, लघु उद्योग तथा विकास आयुक्त, हथकरघा एवं विकास आयुक्त, हस्तशिल्प के कार्यालय सृजित हैं, जो राज्यों के लिये मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त तय करते हैं। इसी के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये जनवरी, 2003 में विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति मुख्यतः औद्योगिक लाईसेन्स निर्गत करना, विदेशी पूंजी निवेश व प्राविधिक समन्वय तथा निजी क्षेत्र में विकास करना है तथा इसके समानान्तर राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना तथा राज्य द्वारा सहायता व सुविधायें उपलब्ध कराना है।

- भारत सरकार की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में जारी की गई थी । इसका मुख्य उद्देश्य उत्पाद महें वृद्धि तथा समान वितरण था तथा यह मिश्रित अर्थ व्यवस्था पर आधारित थी।
- इण्डस्ट्रियल वरेगुलेशन ऐक्ट 1951 में पारित किया गया, जिसके मुख्य विन्दु निम्न थे:-

(1) उक्त ऐक्ट में नये एवं कार्यरत उद्योगों के विस्तार हेतु लाईसेन्स जारी करने की व्यवस्था थी।

(2) शासन को कुछ विशेष उद्योगों में निरीक्षण करने के अधिकार प्राप्त थे।

(3) शासन के निर्देशों के अनुसार कार्य न करने वाले उपक्रमों का प्रवन्धन अपने अधिकार क्षेत्र में लिये जानेकी व्यवस्था थी।

(4) शासन द्वारा अधिसूचित मूलयों, प्रकियाओं, उत्पादन की मात्रा का उचित वितरण किये जाने की व्यवस्था थी।

(5) 100 से कम श्रनिकों के रोजगार एवं रू0 10 लाख से कम स्थाई पूंजी निवेश वाली औद्योगिक इकाईयों को लाईसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं थी।

- भारत सरकार की औद्योगिक नीति 1956, 1977 एवं 1980 के अन्तर्गत निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया :-

1. औद्योगिक नीति 1956 का उद्देश्य आर्थिक विकास दर की गति को बढ़ाना एवं सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप प्राप्त करने हेतु उद्योगों को वढ़ावा देना था।
2. औद्योगिक नीति 1977 में उद्योगों के विकेन्द्रिकरण एवं लघु स्तरीय, लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों को वढावा दिया गया। देश में समस्त जिलों में जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। उक्त केंद्र स्थानीय औद्योगीकरण के केन्द्र बिन्दु प्रस्तावित किये गये।
3. औद्योगिक नीति 1980 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के प्रभावी प्रवन्धन हेतु कदम उठाये गये। आर्थिक संघों की परिकल्पना एवं ग्राम्रीण क्षेत्रों में उद्योग को प्रोत्साहन तथा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने की नीति तय की गई। इसके अतिरिक्त अधिक क्षमताओं को नियंत्रित किया गया।

- भारत सरकार की वर्ष 1991 में जारी औद्योगिक नीति में निम्न मुख्य नीति विषयक सिद्धानत सम्मिलित किये गये :-

1. उक्त नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अर्थ व्यवस्था को अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करना, सुधारीकरण को लागू करना, भारतीय अर्थव्यवस्था को संचार की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वाधाओं को दूर करना तथा एम.आर.टी.पी. वाधाओं को दूर करना था।
2. उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, नियम प्रकिया का सरलीकरण, नियामक यांत्रिकी को हटाना, श्रेष्ठ विकास में पूंजी निवेश व नई तकनीकी लाना, साधारण व्यक्ति के लाभ हेतु प्रतियोगिता बढ़ाना, निर्यात प्रोत्साहन तथा केंडिट फ्लो में सुधार लाना था।

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति

- राज्य सरकार की नीति मुख्यतः राजकीय सहायतायें, सुविधायें एवं अवस्थापना विकास से सम्बन्धित हैं।
- उक्त नीति नवस्थापित राज्य के पोटेन्सियल एवं सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये व्यवस्थापित की गई।
- नीति का मुख्य केंद्र विन्दु उन क्षेत्रों में है, जहाँ राज्य की विकास की सम्भावनायें छिपी हुई हैं।

औद्योगिक नीति के कियान्वयन के मुख्य बिन्दु :

- राज्य में एकल खिड़की सम्पर्क, सूचना एवं सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है।
- उद्योग मित्र का गठन किया गया है।
- अवस्थापना में निजी क्षेत्र की भागीदारी की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गई।
- दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष सहायता कार्यक्रम प्रस्तावित किये जा रहे हैं।
- मूल्य एवं क्रय वरीयता निर्धारित कर दी गई है।
- पलोरीकल्चर एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है।
- व्याज उपादान, आई0एस0ओ0/पर्यावरण नियंत्रण आदि योजनाओं को पूर्व ही अधिसूचित कर दिया गया है।

भारत सरकार के पैकेज के बिन्दु :

आर्थिक सहायता में भारत सरकार द्वारा नये उद्योगों हेतु प्रथम 10 वर्ष के लिये उत्पाद शुल्क, प्रथम वर्षों में आयकर में पूर्ण छूट तथा आगामी 5 वर्षों में 30 प्रतिशत छूट की

Scanned with CamScanner

सुविधा तथा मशीन व संयंत्र में पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत, किन्तु अधिकतम रू0 30 लाख की उत्पादन सहायकता :

- भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक सहायता के अन्तर्गत नियम/प्रक्रिया, प्रार्थना पत्र का प्रारूप अन्तिम रूप से तैयार कर उद्यमियों को निःशुल्क उपलब्धा कराये जाते हैं।

2-प्रक्रियात्मक सुधार (Procedural Reforms)

- समस्त विभागीय योजनाओं का संकलन कर जिला उद्योग केन्द्रों में परामर्श कक्ष स्थापित किया गया है, जिसमें पुस्तकें, प्रोजेक्ट प्रोफाइल एतद्विषयक पुस्तिकायें समस्त जिला उद्योग केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई।
- अनुमोदन, प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यों को समयबद्ध किया गया।
- उद्योग संघों/चैम्बरों के साथ नियमित सम्पर्क किया जा रहा है तथा प्रत्येक जनपद में उद्योग मित्र की मासिक/द्विमासिक बैठकें आयोजित की जा रही है।
- पूर्व सम्मिलित राज्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत सम्बन्धित विभिन्न निगमों के स्थान पर उत्तरांचल राज्य में समन्वित रूप से एक निगम उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (SIDCUL) की स्थापना की गई है।
- पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में कार्यरत उद्योग, हथकरघा आदि विभिन्न निदेशालयों के स्थान पर राज्य में एक उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई।
- हथकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद का गठन किया गया है।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रारूपों को विकसित किया गया है तथा इन्टरनेट/ई-मेल सुविधायें निदेशालय में स्थापित की गई।
- जिला उद्योग केन्द्रों का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है तथा वर्ष के अन्त तक इन्टरनेट सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
- मासिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा की जा रही है।
- औद्योगिक नीति का केन्द्र बिन्दू अधिसूचित थ्रस्ट क्षेत्र का त्वरित औद्योगिक विकास रखा गया है।
- राज्य में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का द्रुत गति से विकास किया जा रहा है।
- भारत सरकार की विशेष सहायता सुविधाओं के अतिरिक्त नई औद्योगिक नीति में कई आर्थिक सहायतायें प्रस्तावित की गई है।
- राज्य में खादी बोर्ड का गठन किया गया है।
- विगत दो वर्षों में अधिकांशतः व्यय अवस्थापना विका पर किया गया है, जिसके भविष्य में आशातीत परिणाम रहेंगे।

- उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा हथकरघा/हस्तशिल्प क्षेत्र का विकास भविष्य में केन्द्र बिन्दु रहेगा।

उद्योग निदेशालय के अधीन संचालित योजनाओं के विषय में विस्तृत विवरण योजनाओं के कियान्वयन हेतु निर्धारित ..... का उल्लेख सूचना के अधिकार 2005 हेतु तैयार मैनुअल के भाग-2 मैनुअल 5 के खण्ड प्रथम, द्वितीय में दिया गया है।

Scanned with CamScanner

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल – 13
भाग – 4 बिन्दु – 13
अपने द्वारा अनुदत्त रियायतें, अनुज्ञापयों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

विभाग द्वारा विभिनन योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रदत्त की जाने वाली रियायतें, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के राम्बन्ध में विवरण व्यवस्थित किया जाता है जो कि निम्नवत् है :–

1. केन्द्रीय पूंजी निवेश सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वित इकाईयों का विवरण
2. केन्द्रीय परिवहन उपादान योजनान्तर्गत लाभान्वित इकाईयों का विवरण
3. ब्याज प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वित इकाईयों का विवरण
4. 5000 फिट से अधिक ऊँचाई वालें स्थानों पर स्थापित थ्रस्ट उद्योगों हेतु ब्याज उपादान प्राप्त करने वाली इकाईयों का विवरण
5. लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता योजना–आई0एस0औ0–9000/2000, पेटेन्ट तथा प्रदूषण नियंत्रणकारी संयंत्रों के उपयोग पर प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करने वाली इकाईयों का विवरण
6. औद्योगिक आस्थान/क्षेत्रों में प्लाट/भूखण्ड आवंटन सम्बन्धी इकाईयों का विवरण
7. रूग्ण इकाइयों का पुर्नवासन सम्बन्धी विवरण
8. राज्य में स्थापित लघु उद्योग इकाईयों को राजकीय कय में वरीयता सम्बन्धी विवरण
9. आवास से सम्बद्ध कार्यशाला योजना में लाभान्वित इकाईयों का विवरण
10. एकीकृत हथकरघा विकास प्रशिक्षण कार्यकम में लाभान्वित इकाईयों का विवरण
11. विपणन प्रोत्साहन सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वित इकाईयों का विवरण
12. हथकरघा स्टॉक की बिक्री पर एकवारगी देय 10 प्रतिशत विशेष छूट सम्बन्धी विवरण
13. राज्य के लघु उद्यमियों, हथकरघा बुनकरों, हस्तशिल्पियों को राज्य/जनपद स्तरीय पुरूष्कार प्राप्त इकाईयों का विवरण
14. उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यकम में प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण
15. प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित लाभार्थियों का विवरण
16. स्थापित लघु उद्योग इकाईयों का विवरण
17. फैसिलिटेशन काउन्सिल के अन्तर्गत निर्णित इकाईयों के ममालों का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 मैनुअल 13
कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

उद्योग निदेशालय एवं अधीनस्त जिला उद्योग केन्द्रों हेतु अधिष्ठान से सम्बन्धित निर्धारित कृत्यों के लिए निम्न प्रकार मानक एवं नियम स्थापित है:–

क्र. सं	विवरण	प्राधिकृत पद	सन्दर्भ	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
	(नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ)			
1	समूह "क" एवं "ख" में वेतनमान रू0 8000–13500 एवं उससे ऊपर के वेतनमान के पद	राज्यपाल	1–उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 3471/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक07.11.2002 एवं 3472/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक 07.11.2002	इसमें सभी राजपत्रित पद सम्मिलित है।
2	समूह "ग" में अधीनस्त सेवा सवर्ग में सभी वेतनमान के सभी पद	अपर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल	उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 3473/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक 07.11.2002	अधिनस्थ सेवा सवर्ग में समूह "ग" के लिपिक सवर्ग को छोड़कर अन्य सभी तकनिकी एवं गैर तकनिकी पद सम्मिलित है।
3	समूह "ग" में लिपिक सवर्ग के वेतनमान रू0 4500–7000 एवं उससे ऊपर के वेतनमान के सभी पद	अपर निदेशक उद्योग उत्तरांचल	उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 3473/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक 07.11.2002	इसमें प्रशासनिक अधिकारी, वैयक्तिक सहायक, लेखकार, प्रधान लिपिक आदि पद सम्मिलित है।
4	समूह "ग" में लिपिक सवर्ग के वेतनमान रू0 4000–6000 के पद	उद्योग निदेशालय में नियुक्ति सयुक्त निदेशक उद्योग (कार्मिक)	उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 3474/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक 07.11.2002	इसमें आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक एवं लेखा लिपिक आदि के पद सम्मिलित है।
5	समूह "ग" में लिपिक सवर्ग के वेतनमान रू0 3050–4590	उद्योग निदेशालय में नियुक्ति उप निदेशक उद्योग (कार्मिक)	उत्तरांचल शासन की अधिसूचना संख्या 3473/2002–479–उद्योग/2001 दिनांक 07.11.2002	इसमें कनिष्ठ सहायक एवं लिपिक वर्ग की संबंधित वेतनमान रू0 3050–4590 के सभी पद सम्मिलित है।
6	समूह "घ" में सभी चतुर्थ श्रेणी के पद	निदेशालय में सहायक निदेशक उद्योग तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष	शासन की अधिसूचना संख्या 1240–आर/18–/186 (आर–62) दिनांक 6 मई, 1974	इसमें चतुर्थ श्रेणी के सभी तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद सम्मिलित है।
क्र.	विवरण	प्राधिकृत पद	सन्दर्भ	अभियुक्ति

Scanned with CamScanner

स				
	(क) स्थानान्तरण			
1	समूह "क" के समस्त राजपत्रित अधिकारी	राज्यपाल	शासनादेश संख्या 1050/xxx(2)/2005 दिनांक 29 अप्रैल 2005	इसमें महाप्रबंधक एवं उप निदेशक उद्योग स्तर के अधिकारी सम्मिलित है।
2	समूह "ख" के समस्त राजपत्रित अधिकारी	निदेशक उद्योग	शासनादेश संख्या 1050/xxx(2)/2005 दिनांक 29 अप्रैल 2005	इसमें प्रभारी महाप्रबंधक, प्रबंधक एवं सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी सम्मिलित है।
3	समूह "ग" एव "घ" के समस्त कार्मिक	निदेशक/अपर निदेशक उद्योग	शासनादेश संख्या 1050/xxx(2)/2005 दिनांक 29 अप्रैल 2005 एवं विभागाध्यक्ष होने के कारण	इसमें अधीनस्थ सेवा संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी पद सम्मिलित है।
4	समूह "ग" एव "घ" (जनपद मे एक स्थान से दूसरे स्थान)	महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक	शासनादेश संख्या 1050/xxx(2)/2005 दिनांक 29 अप्रैल 2005	इसमें अधिनस्थ सेवा संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग तथा चतुर्थ श्रेणी के सभी पद सम्मिलित है।
	(ख) सेवा सम्बन्धी समस्त प्रकरण (जैसे अर्जित अवकाश एव चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करना सामान्य भविष्य निधि स्वीकृत करना, प्रशासनिक कार्यवाही/चरित्र प्रविष्टया प्रदान करना एव कार्मिको के अधिष्ठान एव वित्तीय समस्त प्रकरणो पर अन्य प्रकार की स्वीकृतियॉ जारी करना।	राज्यपाल/निदेशक उद्योग/अपर निदेश उद्योग/संयुक्त निदेशक उद्योग/ उप निदेशक उद्योग/ महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक/ सहायक निदेशक	वित्तीय हस्तपुस्तिका में निहित नियमों एव शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासना देशों के अनुसार	इन विषयों मे शासन स्तर/ निदेशालय स्तर एवं जनपद स्तर पर अधिकार नियमों के अनुसार निर्धारित है।

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे

निदेशालय तथा जनपद स्तर पर औद्योगिक विकास सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को त्वरित आदान-प्रदान हेतु वेबसाइट तथा इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध है। निदेशालय का email: di@ua.nic.in तथा उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 का email: sidcul@sidcul.com एवं website:www.sidcul.com है।

Scanned with CamScanner

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष की यदि लोग उपयोग के लिये व्यवस्था की गई है, तो उसका भी विवरण।

उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु विभिन्न सहायतायें/सुविधायें प्रदत्त किये जाने के संबंध में निदेशालय एवं जनपद स्तर पर परामर्श कक्षों की स्थापना की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी साहित्य प्रोजैक्ट रिपोर्टस तथा अन्य आवश्यक सूचनायें उपलब्ध करायी जाती हैं। निदेशालय/जपनद स्तर पर चलाई जा रही औद्योगिक विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं की गाइडलाइन्स व उद्योग स्थापना सम्बन्धी तकनीकी साहित्य एवं पुस्तिकायें आदि उपलब्ध हैं, इसमें जनपद स्तर पर मुख्यालय में तैनात सहायक प्रबंधक/वरिष्ठ सहायक की तैनाती की गयी है, जो इच्छुक उद्यमियों को उद्योग सम्बन्धी सभी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जनपद स्तर पर परामर्श कक्ष महाप्रबंधक की देखरेख में कार्य करते हैं एवं निदेशालय स्तर पर यह कार्य अपर निदेशक उद्योग की देखरेख में होता है। परामर्श कक्षों में कार्यालय 10 बजे प्रातः से 5 बजे सायं तक सुचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों का चिन्हीकरण एवं नामांकन

उद्योग निदेशालय स्तर	लोक सूचना अधिकारी	
	श्री एस0सी0-डोभाल, अपर निदेशक उद्योग	2720220
	श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, संयुक्त निदेशक उद्योग	2720221
जिला स्तर	लोक सूचना अधिकारी	
	श्री के0एस0 बाफी महाप्रबन्धक जि0उ0के0 टिहरी	262452
	श्री एम0आर0 यादव महाप्रबन्धक जि0उ0के0 कोटद्वार	222508
	श्री एस0के0 बहुगुणा महाप्रबन्धक जि0उ0के0 नरेन्द्रनगर	227297
	श्री शंकर राम महाप्रबन्धक जि0उ0के0 टिहरी	262452
	श्री के0एस0 जोशी महाप्रबन्धक जि0उ0के0 चमोली	252126
	श्री एस0एस0 आर्य महाप्रबन्धक जि0उ0के0 रुद्रप्रयाग	233119
	श्री एस0एस0 कुंवर महाप्रबन्धक जि0उ0के0 उत्तरकाशी	222744
	श्री एम0सी0 पाण्डे महाप्रबन्धक जि0उ0के0 हल्द्वानी	220669
	श्री प्रताप बहादुर महाप्रबन्धक जि0उ0के0 अल्मोड़ा	230177
	श्री पू0के0 जोशी महाप्रबन्धक जि0उ0के0 ऊधमसिंह नगर	243204
	श्री के0आर0 आर्य महाप्रबन्धक जि0उ0के0 पिथौरागढ़	223574
	श्री के0आर0 आर्य महाप्रबन्धक जि0उ0के0 चम्पावत	230862
	श्री एन0के0 कुटिल महाप्रबन्धक जि0उ0के0 बागेश्वर	221470
	सहायक लोक सूचना अधिकारी	
	श्री डी0सी0 ममगाई प्रबन्धक जि0उ0के0 देहरादून	2724903
	श्री महेश नेगी सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 कोटद्वार	222508
	श्री एस0एस0 नेगी अधीक्षक-सह-सहायक जि0उ0के0 नरेन्द्रनगर	227297
	श्रीमती कौशल्या बंधु प्रबन्धक जि0उ0के0 देहरादून	2724903
	श्री डी0एस0 गढ़िया सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 चमोली	252126
	श्री पी0एस0 सजवाण सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 रुद्रप्रयाग	233119
	श्री जे0एस0 बहुगुणा सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 उत्तरकाशी	222724
	श्री वाई0सी0पाण्डे सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 हल्द्वानी	220669
	श्री एस0के0 अधिकारी सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 अल्मोड़ा	230177
	श्री तिलक सिंह प्रबन्धक जि0उ0के0 ऊधमसिंह नगर	243204
	श्री ललित मोहन शाह अधीक्षक कम सहायक जि0उ0के0 पिथौरागढ़	223574
	श्री जे0डी0 जोशी सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 चम्पावत	230862
	श्री एम0सी0 तिवारी सहायक प्रबन्धक जि0उ0के0 बागेश्वर	221476

विभागीय अपीलीय अधिकारी

जनपद स्तरी अधिकारियों के अपीलीय आधिकारी अपर निदेशक उद्योग/संयुक्त निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय तथा निदेशालय स्तर पर निदेशक उद्योग, उत्तरांचल अपीलीय अधिकारी होंगे।

Scanned with CamScanner

भाग–4, बिन्दु–17

उत्तरांचल राज्य में त्वरित औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की भाँति अलग से उद्योग निदेशालय की स्थापना, पटेलनगर देहरादून में की गई है एवं यह निदेशालय उद्योग निदेशक के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। उत्तरांचल में लघु उद्योग/मध्यम उद्योग/वृहद् उद्योग/हथकरघा/हस्तशिल्प/जड़–बूटी/इकोटूरिज्म/से सम्बन्धित इकाईयों की स्थापना के लिए संकल्परत रहकर प्रोत्साहित करता है। औद्योगिक विकास हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। राज्य में स्थापित उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों के बाजार/विपणन हेतु भी प्रयासरत रहता है, इसके लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मेलों/प्रदर्शनियों में इनके उत्पादों को प्रदर्शित करने की भी सुविधा निशुल्क प्रदान की जाती है।

Scanned with CamScanner